

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 30 अप्रैल, 2021 / 10 वैशाख, 1943

#### हिमाचल प्रदेश सरकार

तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 09 अप्रैल, 2021

संख्याः ईडीएन (टीई)ए (3)–3/2015–V-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थानों के व्यावसायिक अनुदेशक / दस्तकारी अनुदेशक / ट्रेड **अनुदेशक, वर्ग—III (अराजपत्रित)** के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, व्यावसायिक अनुदेशक / दस्तकारी अनुदेशक / ट्रेड अनुदेशक, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2021 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. निरसन और व्यावृत्तियां.——(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याःएसटीवी(टीई)बी(2)4/85—II, तारीख 15/10/87 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,दस्तकारी अनुदेशक/अनुदेशक समवर्गी ट्रेड वर्ग—III अराजपत्रित पद के भर्ती एवं प्रोन्नित नियम, 1987 का एतद द्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – **(डा० अजय शर्मा)**, सचिव (तकनीकी शिक्षा)।

----

उपाबन्ध–''क''

### हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यावसायिक अनुदेशक / दस्तकारी अनुदेशक / ट्रेड अनुदेशक, वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

- पद का नाम.—औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यावयायिक अनुदेशक / दस्तकारी अनुदेशक / ट्रेड अनुदेशक ।
  - 2. पद (पदों) की संख्या.—1015 (एक हजार पन्द्रह) 3 वर्गीकरण वर्ग-III (अराजपत्रित)
- 3. वेतनमान.——नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान.——(i) पे बैंड ₹10300—34800+ 3800 / ग्रेड पे।

संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलिक्थियाँ.—(ii) स्तम्भ संख्याः 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 14100 / — प्रतिमास।

- 5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.——लागू नहीं।
- **6. सीधी भर्ती के लिए आयु.——**18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी: परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्त की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन—जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द करो अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

- 7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:
- (क) अनिवार्य अर्हता(एं).—1. हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल / संस्थान से दसवीं की परीक्षा पास की होनी चाहिए। (उन पदों के लिए जहां दसवीं न्यनूतम अर्हता है)

या

हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल / संस्थान से दसवीं या 10+2 की परीक्षा उर्त्तीर्ण होनी चाहिए (उन पदों के लिए जहां 10+2 न्यूनतम अर्हता है)

परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों को लागू नहीं होगी।

- इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—III में यथाविहित अनिवार्य अर्हता और अनुभव रखते हों।
- (ख) वांछनीय अर्हता(एं).—हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
- 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित शैक्षिक अर्हता(एं).—— आयु.——लागू नहीं।

**शैक्षिक अर्हता.—**लागू नहीं।

- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
- (ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

- 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित, सैकण्डमैण्ट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
- 11. प्रोन्नति/सैकण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/ सैकण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण किया जाएगा : लागू नहीं।
- 12. यदि विभागीय प्रोन्नित समिति / स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.——(क) विभागीय प्रोन्नित समिति.—लागू नहीं।
  - (ख) विभागीय स्थायीकरण समिति.——जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।
- 13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
- **14.** सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यकम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- 15—क संविदा नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:—
- (I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में व्यावसायिक अनुदेशक / दस्तकारी अनुदेशक / ट्रेड अनुदेशक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अविध में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

- (ख) **पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.**——निदेशक (तकनीकी शिक्षा) रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
  - (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
- (II) संविदात्मक उपलिख्यां.—संविदा के आधार पर नियुक्त व्यावसायिक अनुदेशक / दस्तकारी अनुदेशक / ट्रेड अनुदेशक को ₹14100 / की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमाह संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष की अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलिख्यों में ₹ 423 / की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत ) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

- (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—निदेशक (तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग) हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा/होगी।
- (IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.— जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।
- (VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—"II" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
- (VII) निबन्धन एवं शर्ते.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹14100/— की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमाह संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹423/— (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम् जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रस्विधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सिहत गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनिधक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल० टी० सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेंगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जायेगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें पिरसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा—शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के पिरणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उनकी नियुक्ति को तब तक आस्थिगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों, जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई0पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।
- 16. आरक्षण.——सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय—समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

#### 17. विभागीय परीक्षा.— लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शिक्त.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी / किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

#### परिशिष्ट—ा

1.	लिखित परीक्षा (लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ लिखित परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे।)	85 अंक
2.	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:—	15 अंक
	(i) भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित न्यूनितम शैक्षिक अर्हता हेतु 2.5 अंक वरीयता।	

	(शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50% अंक प्राप्त किए है, तो उसे 1.25 अंक (50× 0.025=1.25) अनुज्ञात किए		
	जाएंगे)		
(ii)	यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से संबंधित	01 अंक	
(iii)			
	राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया जाएगा।	01 अंक	
(iv)		01 अंक	
	सदस्य सरकारी / अर्धसरकारी सेवा में नहीं है।		
(v)	40% विकृति / निःशक्तता / दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन।	01 अंक	
(vi)	एन०एस०एस० (कम से कम एक वर्ष) / एन०सी०सी० में प्रमाण–पत्र	01 अंक	
	धारक / भारत स्काऊट और गाईड / राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में		
	पदक विजेता।		
(vii)	₹40,000 / – से कम या सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित	02 अंक	
	(समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी०पी०एल० कुटुम्ब।		
(viii)	विधवा / तलाकशुदा / अकिंचन / एकल महिला।	01 अंक	
(ix)	इकलौती पुत्री / अनाथ	01 अंक	
(x)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से आवेदित पद से संबंधित	01 अंक	
	कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण।		
(xi)		2.5 अंक	
	पांच वर्ष तक अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल 0.05		
	अंक)।		

परिशिष्ट—II

व्यावसायिक अनुदेशक/दस्तकारी अनुदेशक/ट्रेड अनुदेशक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निस्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप
यह करार श्री / श्रीमतीपुत्र / पुत्री श्रीपुत्र श्री श्री
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने व्यावसायिक अनुदेशक / दस्तकारी अनुदेशक / ट्रेड अनुदेशक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्ती पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—
1. यह कि प्रथम पक्षकार व्यावसायिक अनुदेशक / दस्तकारी अनुदेशक / ट्रेड अनुदेशक के रूप में से प्रारम्भ होने औरको समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अविध के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्

परन्तु संविदा अविध में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹14100 / प्रतिमास होगी।
- अधार पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील अधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
- 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त मिहला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त मिहला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सिहत गर्भपात करवाने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनिधक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या पर विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

अनुपभुक्त आकरिमक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जायेगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा / होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधारों पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा— शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उनकी नियुक्ति को तब तक आस्थिगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् उपायुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई०पी० एफ० / जी० पी० एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, मास और वर्ष को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः	
(नाम व पूरा पता)	(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
(नाम व पूरा पता)	
	(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

#### परिशिष्ट–III

टिप्पण.—2 (दो) (1+1) की यूनिट के लिए अपेक्षित दो अनुदेशकों में से एक के पास उपाधि/ डिप्लोमा और अन्य के पास एन टी सी/एन ए सी अर्हताएं होनी आवश्यक है।

#### इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग व्यवसाय

क्रम	पद का नाम	पदों	की	अनिवार्य अर्हता
संख्या		संख्या		
1.	अनुदे''ाक [बुनियादी सौंदर्य प्रसाधन (पूर्ववर्ती पदनाम हेयर एण्ड स्किन केयर)]	08 (आ	ਾਰ)	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्थान से हेयर एण्ड स्किन केयर / बुनियादी सौंदर्य प्रसाधन में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण—पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष का अनुभव।
				या
				ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से सौंदर्य संवर्धन / सौंदर्य प्रसाधन में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।

564	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1, 16111901 91	41, 3	७० अप्रल, २०२१ / १० वशाख, १९४३
				या
				किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
2.	अनुदेशक (बढ़ई)	10 (दस)	1.	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बढ़ई के व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी. ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध

				व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव
				अपेक्षित है।
3.	अनुदेशक (भोज—व्यवस्था एवं अतिथि सत्कार सहायक)	03 (तीन)	1.	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से होटल प्रबन्धन / भोज—व्यवस्था प्रौद्योगिकी में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सहबद्ध या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से होटल प्रबन्धन/ भोज—व्यवस्था प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सहबद्ध या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थान / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
4.	अनुदेशक कम्प्यूटर प्रयोगशाला / सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला	23 (तेईस)	1.	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।

गा

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय सहबद्ध से मान्यता प्राप्त संस्थान या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर या नाइलेट (एन आई ई एल आई टी) से "बी" स्तर सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।

या

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या पी०जी०डी०सी०ए० या नाइलेट (एन आई ई एल आई टी) से "ए" स्तर सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।

या

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा के साथ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।

या

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी/आई सी टी एस एम के ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता—पश्च अनुभव।

2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अविध का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता—पश्च अनुभव अपेक्षित है।

	रा
5.	अनुदेशक (कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक)

42 (बयालिस) 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बी०ई०/बी० टैक सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।

या

कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी में रनोतकोत्तर या नाइलेट (एन आई ई एल आई टी) से "बी" स्तर सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।

या

किसी विश्वविद्यालय यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त या किसी किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या पी० जी०डी०सी०ए० या नाइलेट (एन आई ई एल आई टी) से "ए" स्तर सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।

या

किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष के डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।

या

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक के ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र के साथ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता–पश्च् अनुभव।

2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अविध का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थान / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थानों जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी

		.,	4(1, 00 31)(1, 2021) 10 1(114), 1040
			अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
6.	अनुदेशक (कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर एण्ड	06 (छह)	10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन विज्ञान एवं गणित सहित दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	नेटवर्क मेंटेनैंस)		1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी / इलैक्ट्रॉनिक्स में स्नातकोत्तर सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/ इलैक्ट्रॉनिक्स एवं दूर संचार में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्ता बोर्ड/संस्थान से सहबद्घ किसी संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/ इलैक्ट्रॉनिक्स एवं दूर संचार में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
			या
			कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्क मेण्टेनैंस व्यवसाय में एन0टी0सी / एन0ए0सी0 उत्तीर्ण करने सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता—पश्च् अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी

		अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
7. अनुदेशक [(डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर) पूर्ववर्ती पदनाम (प्रिटिंग एवं बुक बाइडिंग)]	02 (दो)	10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।  1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से मुद्रण प्रौद्योगिकी में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् कम्प्यूटर एप्लीकेशन और डेस्कटॉप पब्लिशिंग में एक वर्ष का अनुभव।  या  किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिको में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् कम्प्यूटर एप्लीकेशन और डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर में
		दो वर्ष का अनुभव।  या  डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।  2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अविध का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्ड़ों) में दस्तकारी
		अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में सम्बद्ध ट्रेड (व्यवसाय) में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।
8. अनुदेशक (डिजिटल फोटोग्राफर)	01 (एक)	10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।  1. किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से फोटोग्राफी/छायांकन/ वीडियोग्राफी में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।

5/0	(1911)	1, 10 11 901 31	۷۲۱, ۵	30 अप्रल, 2021 / 10 वशाख, 1943
				किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से डिजिटल फोटोग्राफर/ फोटोग्राफर के ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र उत्तीर्ण करने सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता— पश्च अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
9.	अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन	18 (अठारह)		10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन विज्ञान और गणित सहित दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	(सिविल)		1.	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिगं महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की सिविल ब्रांच में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग की सिविल ब्रांच में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता-पश्च् अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्ड़ों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में

की परीक्षा उत्तीर्णं की हो।  1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिगं महाविद्यालय में मैकेनिकल)  1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिगं महाविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिगं में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुख्यान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।  या  तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सिहत किसी औद्योगिक समुख्यान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुख्यान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।  या  किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से इप्राप्ट्समेन (मैकेनिकल) के ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र/ राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र उत्तीर्ण करने सिहत किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता— पश्च अनुभव।  2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का/प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी अर्वस्तिय कंपनी संस्थानों/ डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी./ए.आई.सी.टी.ई./ पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना/ कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत/स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।		1	, - 1	प्रदर्श, ५० अप्रल, २०२१/ १० पराखि, १७४५ ५ ५ ५
की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।  1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिगं महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से मैकंनिकल इंजीनियरिगं में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुस्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।  या  तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकंनिकल इंजीनियरिंग में डिस्तोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रशुक्षण संस्थान या  किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से द्राप्ट्समेन (मैकंनिकल) के ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र/ राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र उत्तीर्ण करने सहित किसी औद्योगिक प्रशुक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रशुक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुख्यान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता—पश्च अनुभव।  2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का/प्रमाणीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहीं सरकारों/अधंसरकारी अनुदेशक प्रशिक्षण जो एनसी.वी.टी./ए.आई.वी.टी.ई./सी.आई./उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना/कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत, स्थापित हैं, से समबद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।  11. अनुदेशक (द्रेस मान्यता प्राप्त संस्थान से सहबद्ध किसी संस्थान से देस मोकंग में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुस्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता—पश्च अर्हता पश्च अर्हता पश्च अर्हता पश्च अर्हता—पश्च अर्हता पश्च अर्हता वर्ष का अर्हता पश्च वर्तकारी अर्नुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता—पश्च अर्हता पश्च वर्ता या किसी ख्याति प्राप्त औद्याति समुस्थान में दस्तकारी अर्नुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता—पश्च वर्ता प्राप्त स्थान से स्रक्ता तीन वर्ष का अर्हता—पश्च अर्वता या किसी ख्याति प्राप्त औद्याति सम्बन्ध से स्रक्ता तीन वर्य का सा सा सा स्				
संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।  11. अनुदेशक (ड्रेस मेकिंग)  12. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सहबद्ध किसी संस्थान से ड्रेस मेकिंग में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता— पश्च अनुभव।	10.	ड्राफ्ट्समैन	10 (दस)	<ul> <li>की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</li> <li>1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिगं महाविद्यालय से वेश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से मेकेनिकल इंजीनियरिगं में उपाधि सिंहत किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।</li> <li>या  तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सिंहत किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।</li> <li>या  किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से इप्रप्तमेन (मैकेनिकल) के ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र/ राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र उत्तीर्ण करने सिंहत किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता— पश्च अनुभव।</li> <li>2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अविध का/प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की</li> </ul>
मेकिंग) हुस मेकिंग में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता- पश्च अनुभव।				संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव
या	11.		10 (दस)	ड्रेस मेकिंग में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का
				या

5/2	(1017)	1, 10111901 91	५रा, ८	30 अप्रल, 2021 / 10 वशाख, 1943
				ए.आई.सी.टी.ई. से ड्रेस मेकिंग/गारमेन्ट फैब्रिकेटिंग प्रौद्योगिकी/कॉस्टयुम डिजाइनिंग में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से फैशन और परिधान प्रौद्योगिकी में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
12.	अनुदेशक ड्राईवर– कम–मैकेनिक (एल एम वी)	03 (तीन)	1.	किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल/आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एल एम वी चालन सहित अनुज्ञप्ति दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
				या
				"ड्राईवर-कम-मैकेनिक (हल्के मोटरयान)" के ट्रेड (व्यवसाय) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र उत्तीर्ण सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एल एम वी चालन अनुज्ञप्ति सहित दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता- पश्च् अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्ड़ों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ किसी औद्योगिक संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में सम्बद्ध ट्रेड (व्यवसाय) में कम से कम चार वर्ष का अर्हता— पश्च् अनुभव।

13.	अनुदेशक (इलेक्ट्रीशियन)	104 (एक सौ	10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन विज्ञान और गणित सहित दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
		चार)	1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्यातिप्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
			या
			"इलेक्ट्रीशियन" के ट्रेड (व्यवसाय) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता— पश्च् अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी. सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
14.	अनुदेशक (इलेक्ट्रॉनिक्स	43 (तैंतालीस)	10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	मैंकेनिक)		1. किसी इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बी.ई. / बी.टैक सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार /

3/4	******	1, 10 11 101 21	
			इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से सम्बद्ध ट्रेड (व्यवसाय) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता— पश्च् अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
15.	अनुदेशक (नियोजनीयता कौशल)	50 (पचास)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम.बी.ए.। या
			कसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी.बी.ए. सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दो वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से समाज शास्त्र/सामाजिक कल्याण/ अर्थशास्त्र में स्नातक सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दो वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक/डिप्लोमा सहित डी०जी०ई०टी० संस्थानों से नियोजनीयता कौशल में दो वर्ष का अनुभव एवं प्रशिक्षण हो।
			और
			बारहवीं / डिप्लोमा स्तर पर और उसके ऊपर अंग्रेजी / संचार कौशल और बेसिक कम्प्यूटर का अध्ययन किया हो।

	T		·
			या
			डी०जी०ई०टी० संस्थाओं से नियोजनीयता कौशल में सम्यक रूप से प्रशिक्षित विद्यमान सामाजिक अध्ययन अनुदेशक हो।
16.	अनुदेशक (इंजीनियरिंग ड्राईंग)	58 (अड्डावन)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इंजीनियरिंग में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दो वर्ष का अनुभव।
			या
			ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल/सिविल) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से तीन वर्ष का अनुभव।
			वांछनीय.—एन सी वी टी के अधीन आर.ओ.डी. और "ए" पाठ्यक्रम में दस्तकारी अनुदेशक प्रमाण पत्र।
17.	अनुदेशक (इंजीनियरिंग ड्राईंग / गणित)	42 (बयालीस)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इंजीनियरिंग में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दो वर्ष का अनुभव।
			या
			ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल / सिविल) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से तीन वर्ष का अनुभव।
			वांछनीय.—एन सी वी टी के अधीन आर.ओ.डी. और "ए" पाठ्यक्रम में दस्तकारी अनुदेशक प्रमाण पत्र।

	· · ·	ī	<u> </u>				
18.	अनुदेशक डिजाइन प्रौद्योगिकी)	17 (सत्रह)		10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।			
	(फैशन		1.	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइननिंग / प्रौद्योगिकी में (चार वर्षीय) उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।			
				या			
				किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइननिंग / प्रौद्योगिकी(तीन वर्षीय) में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।			
				या			
				ए.आई.सी.टी.ई. से फैशन डिजाइननिंग/ प्रौद्योगिकी/सी डी डी एम में तीन वर्षीय डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अनुभव।			
				या			
				फैशन डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी (ट्रेड का पूर्वत्तर नाम फैशन टेक्नोलॉजी) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।			
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी/अर्धसरकारी संस्थानों/डीम्ड विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय/प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी./ए.आई.सी.टी.ई./पी.सी.आई./ उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना/कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत/स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।			
19.	अनुदेशक (फिट्टर)	65 (पैंसट)		10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन विज्ञान और गणित सहित दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।			
			1.	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से मैकेनिकल			

		74 (1, 66 617), 2021/10 4(114), 1646 5/1
		इंजीनियरिंग में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
		या
		किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
		या
		किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से "फिट्टर" ट्रेड (व्यवसाय) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अनुभव।
		2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
20. अनुदेशक (अग्नि प्रौद्योगिर्क और औद्योगिक	03 (तीन)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
आर आद्यागक सुरक्षा प्रबन्धन)		<ol> <li>फायर और सुरक्षा इंजीनियरिंग में उपाधि/फायर विज्ञान में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।</li> </ol>
		या
		औद्योगिक सुरक्षा इंजीनियरिंग/फायर और औद्योगिक सुरक्षा इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुस्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
		या

5/8	राजन	1, 10111901 91	₹₹I, 30	अप्रल, 2021 / 10 वशाख, 1943
				किसी सम्बद्ध क्षेत्र में दस वर्ष के अनुभव सहित रक्षा अधिकारी जे0सी0ओ0 / एन0सी0ओ0 ।
				या
			;	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (एन०ई०बी०ओ०एस०एच०) / व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासक (ओ एस एच ए) प्रमाणीकरण का एक वर्ष का अनुभव।
				या
			1	फायर प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सुरक्षा प्रबन्धन के ट्रेड (व्यवसाय) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र सहित सम्बद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
				सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण । जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
21.	अनुदेशक (खाद्य	06 (छ:)	दसवीं	की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	और पेय अतिथि सेवा सहायक)	; ;	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से खाद्य पेय ट्रेड (व्यवसाय) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र सिहत किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।	
				या
			<del>1</del>	खाद्य प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
				या
			1	खाद्य प्रौद्योगिकी में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।

2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अविष्का/प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी/अर्धसरकारी संस्थानों/डीम्ड विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ प्राइवेट संस्थानों/डीम्ड विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ प्राइवेट संस्थानों जो एन.सी.वी.टी./ए.आई.सी.टी.ई./पी. सी.आई./उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना/कम्पने अधिनयम के अधीन रिजस्ट्रीकृत/स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।  22. अनुदेशक खाद्य उत्पादन सामान्य)  1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से होटल प्रबन्धन/भोज व्यवस्था प्रौद्योगिकी में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।  वर्ष का अनुभव।  किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से होटल प्रबन्धन/भोज—व्यवस्था प्रौद्योगिकी में डिप्लोम सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त कीसी मोन्वव्यवस्था प्रौद्योगिकी में डिप्लोम सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के प्रथाति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के
की हो।  1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से होटल प्रबन्धन/भोज व्यवस्था प्रौद्योगिकी में उपाधि सिहत किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।  या  किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से होटल प्रबन्धन/ भोज—व्यवस्था प्रौद्योगिकी में डिप्लोम सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त
से होटल प्रबन्धन/भोज व्यवस्था प्रौद्योगिकी में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव। या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से होटल प्रबन्धन/ भोज—व्यवस्था प्रौद्योगिकी में डिप्लोम सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से होटल प्रबन्धन/ भोज—व्यवस्था प्रौद्योगिकी में डिप्लोम सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त
होटल प्रबन्धन/ भोज—व्यवस्था प्रौद्योगिकी में डिप्लोम सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त
पश्चात् दो वर्षे का अनुभव।
या
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अविध् का/प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी/अर्धसरकारी संस्थानों/डीम्ड विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय/प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी./ए.आई.सी.टी.ई./पी.सी.आई./ उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना/कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत/स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
23. अनुदेशक (फ्रंट 03 (तीन) दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ऑफिस एसीस्टैंट)

380	(1-11)	1, 10 11 101 21	पर्रा, ५० अत्रल, २०२१ / १० पराखि, १९४५
			1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्य / होटल प्रबन्धन / भोज— व्यवस्था प्रौद्योगिकी में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्घ किसी संस्थान से होटल प्रबन्धन/ भोज—व्यवस्था प्रौद्योगिकी/ व्यावसायिक प्रैक्टिस में डिप्लोमासहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			या
			किसी सम्बद्ध ट्रेड (व्यवसाय) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
24.	अनुदेशक [फल और सब्जी	04 (चार)	विज्ञान और गणित सहित दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	प्रकमक (प्रोसेसर)]		1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्घ किसी संस्थान से फल और सब्जी के संरक्षण में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।
			या
			खाद्य प्रौद्योगिकी या पश्च् फसल प्रबन्धन (पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमैंट) में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।

			प्रदर्श, ३० अप्रल, २०२१/ १० पराखि, १९४५ - ३०१
			या
			खाद्य प्रौद्योगिकी या पश्च फसल प्रबन्धन (पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमैंट) में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव अपेक्षित है।
25.	अनुदेशक	02 (दो)	दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	(गृह व्यवस्था)		1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			या
			होटल प्रबन्धन/भोज—व्यवस्था प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
ļ			या
			किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से होटल प्रबन्धन / भोज—व्यवस्था प्रौद्योगिकी में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुस्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी. सी.आई. /

		.,	41, 00 31/1, 2021/ 10 41/13, 1040
			उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना/कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत/स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव अपेक्षित है।
26.	अनुदेशक (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	१४ (चौदह)	विज्ञान और गणित के विषयों के साथ दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
प्रणाली अनुरक्षण)		1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर विज्ञान प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी स्नातक सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।	
			या
			कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातकोत्तर सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
			या
			कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी में रनातक या नाइलेट "ए" स्तर सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में तीन वर्ष का डिप्लोमा सिहत किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।  या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुरक्षण ट्रेड (व्यवसाय) में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।

		171, 10 11-101	2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि
			का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी. आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
	अनुदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	12 (बारह)	विज्ञान और गणित के विषयों के साथ दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	лош т г.)		1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर विज्ञान प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रानिक्स और संचार में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी स्नातक सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
			या
			कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रानिक्स में स्नातकोत्तर सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
			या
			कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या नाइलेट "ए" स्तर सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रानिक्स और संचार में तीन वर्ष का डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।  या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी ट्रेड (व्यवसाय) में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण

584	राजप	त्र, १६मायल प्र	दश, ३० अप्रल, २०२१ / १० वंशाख, १९४३
			पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी. सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
28.	अनुदेशक (इंस्ट्रूमेन्ट मैकेनिक)	03 (तीन)	10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन विज्ञान और गणित सहित दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	14/1-14/)		1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालयया किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से यन्त्र विन्यास (इंस्ट्रूमेंटेशन) / यन्त्र विन्यास (इंस्ट्रूमेन्टेशन) और कंट्रोल इंजीनियरिंग में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से यन्त्र विन्यास (इंस्ट्रूमेन्टेशन) / यन्त्र विन्यास (इंस्ट्रूमेन्टेशन) और कंट्रोल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से "यन्त्र मैकेनिक" के ट्रेड (व्यवसाय) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुस्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी

			संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट
			संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव अपेक्षित है।
29.	अनुदेशक (यन्त्र चालक)	11 (ग्यारह)	10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन विज्ञान और गणित सहित दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
			1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव। या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
			या
			"यन्त्र चालक" के ट्रेड (व्यवसाय) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र उत्तीर्ण करने सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
30.	अनुदेशक (गणित)	52 (बावन)	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
			या

380	(1911)	1, 10111901 31	दश, 30 अप्रल, 2021 / 10 वशाख, 1943
			किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
			वांछनीयः—एन सी वी टी के अधीन आर.ओ.डी. और "ए" पाठ्यक्रम में दस्तकारी अनुदेशक प्रमाण पत्र।
31.	अनुदेशक (वर्कशाप कैल्कुलेशन एण्ड साइंस)	02 (दो)	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सिहत किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
			वांछनीयः—एन सी वी टी के अधीन आर०ओ०डी० और 'ए' पाठ्यक्रम में दस्तकारी अनुदेशक प्रमाण पत्र।
32.	अनुदेशक (मैकेनिक ऑटो बॉडी पेटिंग)	09 (नौ)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा पास की हो।
	4101 110 19		1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से आटोमोबाइल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग (आटोमोबाइल में विशेषज्ञता के साथ) उपाधि सहित आटोमोबाइल उद्योग में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के मोटर यान (एल०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्घ किसी संस्थान से आटोमोबाइल / मैकेनिकल (आटोमोबाइल में विशेषज्ञता) में डिप्लोमा सहित आटोमोबाइल उद्योग में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के मोटर यान (एल०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से मैकेनिक ऑटो बॉडी पेटिंग के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक

		,	, 30 अप्रल, 2021 / 10 વશાહ્ય, 1943 — 58 /
			समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन चालन (एल०एम०वी०) सहित अनुज्ञप्ति धारक हो।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
33.	अनुदेशक (मैकेनिक डीजल इंजन)	08 (आट)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
			1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से आटोमोबाइल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग (आटोमोबाइल में विशेषज्ञता के साथ) में उपाधि सहित दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् आटोमोबाइल उद्योग में एक वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन (एल०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से आटोमोबाइल / मैकेनिकल (आटोमोबाइल में विशेषज्ञता) में डिप्लोमा के साथ आटोमोबाइल उद्योग में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन (एल०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से मैकेनिक ऑटो बॉडी पेटिंग ट्रेड में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन (एल0एम0वी0) चालन सहित अनुज्ञप्ति धारक हो।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट

388	(1014)	1, 10111901 31	दश, 30 अप्रल, 2021 / 10 वशाख, 1943
			संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव अपेक्षित है।
34.	अनुदेशक (मैकेनिक आटो इलैक्ट्रिकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स)	08 (आउ)	1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से आटोमोबाइल / मैकेनिकल / इलैक्ट्रिकल / इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता के साथ) में उपाधि सहित ऑटोमोबाइल में एक वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन (एल०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से ऑटोमोबाइल / मैकेनिकल / इलैक्ट्रिकल / इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता) में डिप्लोमा के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग में दो वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन (एल0एम0वी0) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			या  किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक "ऑटो इलैक्ट्रिकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स" के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के साथ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन (एल0एम0वी0) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव अपेक्षित है।
35.	अनुदेशक [मैकेनिक (रैफ्रीजेशन एण्ड एयर कंडीश्नर)]	11 (ग्यारह)	दसवीं श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।  1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि सहित दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुन्थान में एक वर्ष का अनुभव।

		,	प्रदर्श, ३० अप्रल, २०२१ / १० पराखि, १९४३
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्घ किसी संस्थान से मकैनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव। या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से मैकेनिक रैफ्रीजेशन एण्ड एयर कंडीश्नर के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सहित दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
36.	अनुदेशक (मैकेनिक सैंट्रल	03 (तीन)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	एयर कंडीशन प्लांट)		1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से मैकेनिक एयर कंडीशन प्लांट ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सिहत किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से मकैनिकल / इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से मकैनिकल / इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या

590	राजपः	४, हिमाचल प्रव	देश, 30 अप्रैल, 2021 / 10 वैशाख, 1943
			ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
37.	अनुदेशक (मैकेनिक	01 (एक)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन विज्ञान और गणित सहित दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	कम्यूनिकेशन इक्विपमेंट मैंटीनेंस)		1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रानिक्स / इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन / कम्प्यूटर साइंस / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / यन्त्र—विन्यास में बी०ई० / बी०टैक० सिंहत दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित सहित विज्ञान स्नातक या इलैक्ट्रानिक्स में स्नातक सहित दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से कम्प्यूटर सांइस / प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्घ किसी संस्थान से ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के साथ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।

			371
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
38.	अनुदेशक (मैकेनिक कन्ज्यूमर इलैक्ट्रॉनिक्स अप्लाएंसिस)	06 (छ:)	दस जमा दो शिक्षा पद्धित के अधीन दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।  1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रानिक्स / इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन / इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन में बी०ई० / बी०टैक० सिहत किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन में डिप्लोमा के साथ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।
			या
			मैकेनिक कन्ज्यूमर इलैक्ट्रानिक अप्लांएसिस के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र सिंहत किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।

39.	अनुदेशक [मैकेनिक (मोटर यान)]	71 (इकहत्त्तर)	1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल / मकैनिकल इंजीनियरिंग (आटोमोबाइल में विशेषज्ञता) में उपाधि सहित दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक ऑटोमोबाईल उद्योग में एक वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन (एल०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से ऑटोमोबाइल / मकैनिकल इंजीनियरिंग (आटोमोबाइल में विशेषज्ञता) में डिप्लोमा सहित दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक ऑटोमोबाईल उद्योग में दो वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन (एल0एम0वी0) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सहबद्ध किसी मान्यता प्राप्त मैकेनिक मोटर यान संस्थान से ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के साथ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन (एल०एम०वी०)चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
40.	अनुदेशक (मैकेनिक रिपेयर एण्ड मैंटेनैंस आफ टू व्हीलर)	01 (एक)	दस जमा दो शिक्षा पद्धित के अधीन विज्ञान और गणित सिहत दसवीं की परीक्षा पास की हो।  1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से मकैनिकल / ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में उपाधि सिहत किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
			या

	(1-)	117, 16 11 101	प्रदर्श, ५० अप्रल, २०२१/ १० पराखि, १९४५ - ५५५
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से मकैनिकल/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् दो वर्ष का अनुभव।  या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से "मैकेनिक रिपेयर एण्ड मेंटेनैंस आफ टू व्हीलर" के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के साथ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
41.	अनुदेशक [मैकेनिक (ट्रैक्टर)]	01(एक)	1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर / ऑटोमोबाइल / मकैनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता के साथ) में उपाधि सहित ट्रैक्टर उद्योग में एक वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन (एल०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।  या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से एग्रीकल्चर/ऑटोमोबाइल/ मकैनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता के साथ) में डिप्लोमा के साथ ट्रैक्टर उद्योग में दो वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन (एल०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो। या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से सहबद्ध किसी संस्थान से दसवीं पास और मैकेनिक ट्रैक्टर/मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन (एल० एम० वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।

594	(1014)	1, 10111901 31	۹۲۱, ۵	30 अप्रल, 2021 / 10 वशाख, 1943
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
42.	अनुदेशक (मोटर ड्राइविंग एण्ड हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेटर)	01 (एक)	1.	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल / मकैनिकल इंजीनियरिंग (आटोमोबाइल में विशेषज्ञता के साथ) में उपाधि सहित आटोमोबाइल उद्योग में एक वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के / भारी वाहन (एल0एम0वी0 / एच0एम0वी0) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से ऑटोमोबाइल/मकैनिकल इंजीनियरिंग (आटोमोबाइल में विशेषज्ञता) में डिप्लोमा के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग में दो वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन/ भारी वाहन (एल०एम० वी०/एच०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं पास और मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र के साथ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन / भारी वाहन (एल0 एम0 वी0 / एच0एम0वी0) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई. सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।

				, 30 dayer, 2021/ 10 delia, 1943 393
43.	अनुदेशक (मोटर ड्राइविंग एवं मैकेनिक)	01(एक)	1.	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल / मकैनिकल इंजीनियरिंग (आटोमोबाइल में विशेषज्ञता के साथ) में उपाधि सहित आटोमोबाइल उद्योग में एक वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के / भारी वाहन (एल०एम०वी० / एच०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो। या
				किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से ऑटोमोबाइल / मकैनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता) में डिप्लोमा के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग में दो वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन / भारी वाहन (एल०एम० वी० / एच०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं पास और मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन/भारी वाहन (एल0 एम0 वी0/एच0एम0वी0) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी. सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
44.	अनुदेशक (मोटर ड्राइविंग)	04 (चार)	1.	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल / मकैनिकल इंजीनियरिंग (आटोमोबाइल में विशेषज्ञता के साथ) में उपाधि सहित आटोमोबाइल उद्योग में एक वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन / भारी वाहन (एल०एम०वी० / एच०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
				किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से ऑटोमोबाइल / मकैनिकल इंजीनियरिंग (आटोमोबाइल में विशेषज्ञता) में डिप्लोमा के साथ

396	(1917)	ו, ופיוואפו אי	રશ, 30 अप्रल, 2021 / 10 વશાહ્ય, 1943
			ऑटोमोबाइल उद्योग में दो वर्ष का अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन/भारी वाहन (एल०एम०वी०/एच०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं पास और मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव और विधिमान्य हल्के वाहन / भारी वाहन (एल० एम० वी० / एच०एम०वी०) चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
45.	अनुदेशक (मल्टीमीडिया	05 (पांच)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा पास की हो।
	एनीमेशन एण्ड स्पैशल इफैक्ट )		<ol> <li>किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया एण्ड एनीमेशन में उपाधि सहित दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।</li> </ol>
			या
			मल्टीमीडिया एण्ड एनीमेशन में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रश्क्षिण के पश्चात किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
			या
			मल्टीमीडिया एनीमेशन एण्ड स्पैशल इफैक्ट के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।

1	1	, -	प्रदर्श, ३० अप्रस, २०२१/ १० पराखि, १९४३
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अईता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
46.	अनुदेशक (आफिस ऐसिस्टैंट एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर)	02 (दो)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन विज्ञान और गणित सहित दसवीं की परीक्षा पास की हो।
			<ol> <li>कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/आई०टी०/ इलैक्ट्रानिक्स में स्नोतकोत्तर के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में छः मास का अनुभव।</li> </ol>
			या
			किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/आई0टी0/इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन में इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी की उपाधि सहित दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
			या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से सहबद्ध किसी संस्थान से कम्प्यूटर सांइस/आई0टी0/इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑफिस ऐसिस्टैंट— कम—कम्प्यूटर ऑपरेटर के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी/अर्धसरकारी

598	राजपः	त्र, हिमाचल प्र	दश, 30 अप्रल, 2021 / 10 वशाख, 1943
			संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव अपेक्षित है।
47.	अनुदेशक (पेंटर जनरल)	03 (तीन)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा पास की हो।
			<ol> <li>किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से पेंट टेक्नोलाजी में उपाधि / फाइन आर्टस में स्नातक के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।</li> </ol>
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से पेंट टेक्नोलाजी / पेंटिंग में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पेंटर जनरल के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
48.	अनुदेशक (प्लास्टिक	01 (एक)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन विज्ञान और गणित सहित दसवीं की परीक्षा पास की हो।
	प्रोसैसिंग ऑपरेटर)		किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से प्लास्टिक

टैक्नोलाजी / इंजीनियरिंग में उपाधि के साथ	^
अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगि संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान का अनुभव।	ाक प्रशिक्षण
या	
किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से स संस्थान से प्लास्टिक टैक्नोलाजी / इंजीर्र डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।	नेयरिंग में । के पश्चात्
या	
प्लास्टिक प्रोसैसिंग ऑपरेटर के ट्रेड में राष्ट्री प्रमाण—पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र के सा अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगि संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान का अर्हता पश्च् अनुभव।	थ दस्तकारी कि प्रशिक्षण
2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की उ प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी/ संस्थानों/डीम्ड विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यात संस्थान जो एन.सी.वी.टी./ए.आई.सी.टी.ई./प उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारख अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत/स्थापित है व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता अपेक्षित है।	ं दस्तकारी प्रशिक्षण की 'अर्धसरकारी त्रय / प्राइवेट गो.सी.आई. / ाना / कम्पनी , से सम्बद्ध
49. अनुदेशक (पलम्बर) 34 (चौंतीस) विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से इंजी सिविल/मकेनिकल ब्रांच में उपाधि के साथ अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगि संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुस्थान का अनुभव।	नियरिंग की ग्र दस्तकारी कि प्रशिक्षण
या	
किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से स् संस्थान से इंजीनियरिंग की सिविल / मकेनिव डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।	oल ब्रांच में ा के पश्चात्

600	राजपः	त्र, ।हमाचल प्र	दश, उ	30 अप्रल, 2021 / 10 वशाख, 1943
				प्लम्बर के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव अपेक्षित है।
50.	अनुदेशक (पंप ऑपरेटरसह मैकेनिक)	09 (नौ)	1.	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
				या
				दसवीं पास के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से "पंप ऑपरेटर—सह—मैकेनिक" के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध

				व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव अपेक्षित है।
51.	अनुदेशक (सिलाई प्रौद्योगिकी)	51 (इक्यावन)	1.	किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से फैशन और परिधान प्रौद्योगिकी में उपाधि के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से वस्त्र निर्माण प्रौद्योगिकी / परिधान डिजाईन और परिधान निर्माण में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
				या
				सिलाई प्रौद्योगिकी (पूर्वत्तर व्यवसाय नाम 'कटींग एण्ड सीवींग') के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव अपेक्षित है।
52.	अनुदेशक (शीट मेटल कामगार)	03 (तीन)	1.	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से मैकेनिकल / धातु विज्ञान / उत्पादन इंजीनियरिंग / मेक्ट्रोनिक्स में उपाधि के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से मैकेनिकल

602	(1011)	1, 10111901 3	दश, 30 अप्रल, 2021 / 10 वशाख, 1943
			और सहबद्ध में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
			या
			"शीट मेटल र्वकर" के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र के साथ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
53.	अनुदेशक [सोलर तकनीशियन	03 (तीन)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन विज्ञान व गाणित के साथ दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	(इलैक्ट्रिकल)]		1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्घ किसी संस्थान से इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुस्थान में दो वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से "सोलर तकनीशियन (इलेक्ट्रिकल)" के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।

			प्रदर्श, ३० अप्रल, २०२१ / १० पराखि, १९४५
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
54.	अनुदेशक [आशुलिपि और सचिवीय सहायक (अंग्रेजी) (पूर्वर्ती पदनाम आशुलिपि अंग्रेजी)]	06 (छ:)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।  1. ट्रेंड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।  या
			सम्बद्ध क्षेत्र में (ए०आई०सी०टी०ई० अनुमोदित) डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
			या  किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध क्षेत्र में उपाधि के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
55.	अनुदेशक [आशुलिपि और सचिवीय सहायक	09 (नौ)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	(हिन्दी) (पूर्वतर नाम आशुलिपि हिन्दी)]		<ol> <li>किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण</li> </ol>

004		1, 10 11 101 71	۲ ۱۱, ۵	जिप्रल, २०२१ / १० पराखि, १९४५
				संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
				या
				सम्बद्ध क्षेत्र में (ए०आई०सी०टी०ई० अनुमोदित) डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध क्षेत्र में उपाधि सहित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी. सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
56.	अनुदेशक [सतह अलंकरण तकनीक (कढ़ाई) (पूर्वर्ती नाम कढ़ाई और सुई का कार्य)]	32 (बत्तीस)	1.	सतह अलंकरण तकनीकी (कढ़ाई) (पूर्वर्ती नाम कढ़ाई और सुई का कार्य) के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण —पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।
				या
				फैशन प्रौद्योगिकी / परिधान डिजाईन और ड्रेस मेंकिंग में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
				या
				फैशन प्रौद्योगिकी / परिधान डिजाईन और ड्रेस मेकिंग में उपाधि के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।

			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
57.	अनुदेशक (सर्वेक्षक)	10 (दस)	1.	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से सर्वेक्षण इंजीनियरिंग / सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि सहित दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
				71
				किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से सर्वेक्षण इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
				या
				'सर्वेक्षक' के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
58.	अनुदेशक (तकनीशियन	05 (पांच)	दस की	जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो।
	पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम)		1.	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स /

606	(1911)	1, 10111901 31	दश, 30 अप्रल, 2021 / 10 वशाख, 1943
			इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में उपाधि सहित दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्घ किसी संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार/ इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
			या
			"तकनीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम" के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव अपेक्षित है।
59.	अनुदेशक (वस्त्र वेट प्रसंस्करण तकनीशियन)	01 (एक)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	NE MNETY		<ol> <li>किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से वस्त्र प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में उपाधि के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।</li> </ol>
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से इंजीनियरिंग की वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।

		171, 16 11 161	१ प्रदश, ३० अप्रल, २०२१ / १० वशाख, १९४३ - ७०/
			या
			'वस्त्र प्रौद्योगिकी' के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण— पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव अपेक्षित है।
60.	अनुदेशक (टूल एवं डाई मेकर	09 (नौ)	दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	्रीडाई एवं मोल्डस})		<ol> <li>किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से मकैनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।</li> </ol>
			या
			किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से मकैनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
			या
			"टूल एवं डाई मेकर" (डाई एवं मोल्डस) के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट

608	(1017)	א, ופיוואפו א	વશ, 30 अप्रल, 2021 / 10 વશાર્ધ્વ, 1943
			संस्थान जो एन.सी.वी.टी./ए.आई.सी.टी.ई./पी.सी.आई./ उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना/कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत/स्थापित है,से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव अपेक्षित है।
61.	अनुदेशक (पर्यटक गाइड)	01 (एक)	दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	HQ O)	(547)	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से सहबद्ध किसी संस्थान से संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से टूर एण्ड ट्रैवल प्रबंधन में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन में उपाधि के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
			या
			किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से भारतीय इतिहास के सम्यक विषय में स्नातक के साथ संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।
			2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी.सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
62.	अनुदेशक (टूर एण्ड ट्रेवल	02 (दो)	दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	सहायक)		<ol> <li>किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से सहबद्ध किसी संस्थान से संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र/</li> </ol>

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र के साथ दस्तक	^ \
प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन व पश्च् अनुभव। या	ग संस्थान या
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी स एण्ड ट्रैवल प्रबंधन में डिप्लोमा के सा अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योर्त संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्था का अनुभव।	थ दस्तकारी गेक प्रशिक्षण
या	
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के प औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप् समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।	ाश्चात किसी
या	
किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय / विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय से भारतीय इतिहास के सम्य स्नातक के साथ संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का उ	प्रक विषय में
2. सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वष् का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्याल संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / प उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारर अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता अपेक्षित है।	में दस्तकारी प्रशिक्षण की /अर्धसरकारी तय/ प्राइवेट ग्री. सी.आई./ ब्राना/कम्पनी है, से सम्बद्ध
63. अनुदेशक (टर्नर) 25 दस जमा दो शिक्षा पद्धति के अधीन दसवीं की (पच्चीस) की हो।	परीक्षा उत्तीर्ण
1. किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग म विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में उपाधि के सा अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योर् संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान का अनुभव।	मकैनिकल / थ दस्तकारी गेक प्रशिक्षण
या	
किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संस्थान से इंजीनियरिंग की मकैनिकल,	

610	(1917)	1, 10111901 31	۹۲۱, ۵	30 अપ્રભ, 2021 / 10 વશાધ્ય, 1943
				इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
				या
				"टर्नर" के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धित (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन.सी.वी.टी. / ए.आई.सी.टी.ई. / पी. सी.आई. / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
64.	अनुदेशक [वेल्डर (गैस एण्ड इलेक्ट्रिकल) (पूर्वर्ती पदनाम वेल्डर)]	36 (छत्तीस)	1.	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से वेल्डर व्यवसाय में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से मकैनिकल एवं सम्बद्ध में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान से

		,	,	, 30 अप्रल, 2021 / 10 वशाख, 1943 611
				सम्बद्ध ट्रेड (व्यवसाय) में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च् अनुभव।
65.	अनुदेशकद (वेल्डर {जी एम ए डब्ल्यू एण्ड जी टी ए डब्ल्य}ू)	01 (एक)	1.	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से मकैनिकल / मैटलर्जी / प्रोडक्शन / मैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से इंजीनियरिंग की मकैनिकल एवं सम्बद्ध इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी अनुदर्श कि प्रशिक्षण के पश्चात किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में दो वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव।
			2.	सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहाँ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थान जो एन०सी०वी०टी० / ए०आई०सी०टी०ई० / पी० सी०आई० / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।
66.	अनुदेशक (वायरमैन)	09 (नौ)	1.	किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्याल या डीम्ड विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समुत्थान में एक वर्ष का अनुभव।
				या
				किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध किसी संस्थान से इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में डिप्लोमा के साथ दस्तकारी

अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात् किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समृत्थान में दो वर्ष का अनुभव। या "वायरमैन / इलेक्ट्रिशीयन" के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र के साथ दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण के पश्चात किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ख्याति प्राप्त औद्योगिक समृत्थान में तीन वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव। सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम एक वर्ष की अवधि का / प्रमापीय पद्धति (समस्त चारों मापदण्डों) में दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण। जहां दस्तकारी अनुदेशक प्रशिक्षण की स्विधा उपलब्ध नहीं है वहां सरकारी/अर्धसरकारी विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राइवेट संस्थानों / डीम्ड संस्थान जो एन०सी०वी०टी० / ए०आई०सी०टी०ई० / पी० सी0आई0 / उद्योग से सहबद्ध हैं और जो कारखाना / कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत / स्थापित है, से सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम चार वर्ष का अर्हता पश्च अनुभव अपेक्षित है।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3)-3/2015-V-I dated 09-04-2021 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

## TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Shimla-171002, the 09th April, 2021

No. EDN (TE) A (3)-3/2015-V-I.—In exercise, of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Vocational Instructors/Craft Instructors/Trade Instructors of Industrial Training Institutes Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Vocational Instructors/Craft Instructors/Trade Instructors Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2021.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta (e-Gazette), Himachal Pradesh.

- **2. Repeal & Savings.**—(1) The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, the Recruitment and Promotion Rules, 1987 for the post of Craft Instructors/Instructors Allied Trade notified *vide* this Department Notification No.STV(TE) B(2)4/85-II dated 15/10/1987 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under Sub-rule(1) *supra* shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules

By order,

Sd/-(DR. AJAY SHARMA), Secretary (Tech. Education).

ANNEXURE "A"

# RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF VOCATIONAL INSTRUCTORS/CRAFT INSTRUCTORS/TRADE INSTRUCTORS OF INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTES CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH.

- **1.** Name of post.—Vocational Instructors / Craft Instructors / Trade Instructors of Industrial Training Institutes.
  - **2. Number of post.**—1015 (One thousand Fifteen)
  - **3.** Classification.—Class-III (Non-Gazetted)
- **4. Scale of Pay.**—(i) Pay scale for regular incumbents:—Pay band ₹10300—34800+ ₹3800/- Grade Pay.
- (ii) Emoluments for contract employees:— ₹14100/- PM as per details given in Col. No. 15-A.
  - 5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Not applicable
  - **6. Age for direct recruitment.**—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *adhoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such *adhoc* or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government: Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies.

*Note:*—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit (s).—
(a) Essential Qualification(s):—1. Should have passed Matriculation Examination from any school/institution situated within Himachal Pradesh.

(For the posts where Matric is the minimum qualification):

OR

Should have passed Matriculation & 10+2 Examinations from any school/institution situated within Himachal Pradesh.

(For the posts where 10+2 is the minimum qualification)

Provided that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

- 2. Should possess essential qualification and experience as prescribed at Appendix-III annexed to these rules.
- (b) Desirable qualification(s):—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
- 8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age:—Not applicable.

Educational qualification:—Not applicable

- **9. Period of probation, if any.**—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
- (b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
- 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
- 11. In case of recruitment by promotion/secondment / transfer, grade for which promotion/ secondment/transfer is to be made:—Not applicable

- 12. If a Departmental Promotion/Conformation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee:—Not applicable.
- (b) Departmental Confirmation Committee:—As may be constituted by the Government from time to time.
- 13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
- **14.** Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
- 15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission / other recruiting agency/authority, as the case may be.
- 15.-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
- (I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Vocational Instructors/Craft Instructors/Trade Instructors in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for further extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed / extended.

- (b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC:—The Director, Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post (s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.
- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
- (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Vocational Instructors/Craft Instructors/ Trade Instructors appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ ₹14100/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹423/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
- (III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

- (IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis or merit or written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test, the standard / syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur/other recruiting agency / authority, as the case may be.
- (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.
- (VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.
- (VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount 0 ₹14,100/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount 0 ₹423/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
- (b) The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, form the date on which a copy of order(s) appealed, is delivered to him / her.
- (c) The contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis, who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by District Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, e.g. in Police Organizations, etc. and they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidates who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or over shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidates be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness, certificate from the authority as specified above she may be appointed to the post kept reserved for her.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF / GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
- **16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

### 17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

APPENDIX – I

1.	WRITTEN EXAMINATION  (Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks).					
2.	Evalu	nation of candidate to be made in the following manner:—		15 Marks		
	(i)	Weightage for the minimum educational qualification prescribed in the Recruitment & Promotion Rules (Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he / she will be allowed 1.25 Marks (50 x 0.025 = 1.25).	2.5 Marks			
	(ii)	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be.	01 Mark			
	(iii)	Land less family / family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	01 Mark			

(iv)	Non-employment Certificate to the effect that none of the	01	
	family members is in Government / Semi Government	Mark	
	service.		
(v)	Differently abled persons with more than 40% impairment /	01	
	disability / infirmity	Mark	
(vi)	NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC / The	01	
	Bharat Scout and Guide/Medal winner in National level	Mark	
	sports competitions.		
(vii)	BPL family having annual income (from all sources) below	02	
	40,000/- or as prescribed by the Government from time to	Marks	
	time.		
(viii)	Widow / divorced / destitute /single woman	01	
		Mark	
(ix)	Single daughter /Orphan	01	
		Mark	
(x)	Training of atleast 6 months duration related to the post	01	
	applied for from a recognized University / Institution.	Mark	
(xi)	Experience upto a maximum of 5 years in Government/ Semi	2.5	
	Government Organization relating to the post applied for (0.5	Marks	
	Marks only for each completed year).		

APPENDIX-II

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Vocational Instructors/Craft Instructors/Trade Instructors on contract basis on the following terms and conditions:—

Provided that for—further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

- 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 14100 /- per month.
- 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not

found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. That Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contact appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- 6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative ground.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non- Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
- 8. Contractual Vocational Instructors/Craft Instructors/Trade Instructors shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Vocational Instructors / Craft Instructors / Trade Instructors.
- 9. That Employees Group Insurance Scheme, EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE P	RESENCE OF WITNESS:	
1.		
	(Name and full address)	(Signature of the FIRST PARTY)
2.		
	(Name and full address)	
IN THE P	RESENCE OF WITNESS:	
1.		
	(Name and full address)	(Signature of the SECOND PARTY)
2.		
	(Name and full address)	

APPENDIX – III

*Note*:—Out of two Instructors required for the Unit of 2 (1+1), one must have Degree/Diploma and other must have NTC/NAC qualifications.

### **Engineering and Non-Engineering Trades**

Sl.	Name of post	No. of	Essential Qualification
No.		post	
1.	Instructor [Basic Cosmetology (Pervious Designation Hair & Skin Care)].	08	1. National Trade Certificate/National Apprentice- ship Certificate in Hair & Skin Care/Basic Cosmetology from an Institution affiliated to a recognized Board/University with three years' post qualification experience in the trade concerned in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR

				<u>'</u>
			recognized I AICTE with	he Beauty Culture/Cosmetology from a Institution/University approved by the two years' experience in an Industrial citute or in a reputed Industrial concern.
				OR
				nstitution with two years' experience in large Institute or in a reputed
			duration/Mod the trade con TRAINING years post of concerned in Government University/Pr with NCVT/	ctor Training of at least one year dular Pattern (all the four Modules) in cerned. Where CRAFT INSTRUCTOR facility is not available, atleast four qualification experience in the trade is required from Government/Semi Institutions/Deemed University/rivate Institution which are affiliated /AICTE/ PCI / Industries which are established under factory / Company
2.	Instructor (Carpenter)	10	recognized from a deem after Craft	Mechanical Engineering from a Engineering College / University or ed University with one year experience Instructor Training in an Industrial citute or in a reputed Industrial concern.
				OR
			recognized E years' experi	Mechanical Engineering from a Board of Technical Education with two ience after Craft Instructor Training in 1 Training Institute or in a reputed neem.
				OR
			Certificate in Institution vexperience a	de Certificate/National Apprenticeship in Carpenter Trade from a recognized with three years' post qualification after Craft Instructor Training in an Craining Institute or in a reputed incern.
			duration / Mo the trade Training faci	ctor Training of at least one year odular Pattern (all the four Modules) in concerned. Where Craft Instructor ility is not available, atleast four years ation experience in the trade concerned

	(1917), 16 11-10 34(1, 00 9))(1, 2027) 10 4(114), 1040			
3.	Instructor (Catering & Hospitality Assistant)	03	is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI / Industries which are registered / established under factory / Company Act.  1. Degree in Hotel Management / Catering Technology from a recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training	
			Institute or in a reputed Industrial concern.  OR	
			Diploma in Hotel Management / Catering Technology from a recognized Institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR	
			National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the concerned Trade from a recognized Institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.	
			2. Craft Instructor Training of at least one year duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI / Industries which are registered / established under factory / Company Act.	
4.	Instructor (Computer Lab/ IT Lab).	23	Graduate in Engineering / Technology in Computer Science/IT from recognized University or an Institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR	
			Post Graduated in Computer Science/Computer Application/ IT from a recognized Institution	

	affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University OR NIELIT "B" level with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
	OR
	Bachelor in Computer Science/Computer Application/IT from a recognized Institution/ University OR PGDCA OR NIELIT "A" level with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
	OR
	Three year Diploma in Computer Science / IT from a recognized Institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
	National Apprenticeship Certificate OR National Trade Certificate in the Trade of IT / ICTSM from the recognized Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
	2. Craft Instructor Training of at least one year duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI / Industries which are registered / established under factory / Company Act.
5. Instructor (Computer Operator and Programming Assistant)	1. B.E. / B. Tech. in Computer Science / IT from a recognized University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
	OR

			Post Graduate in Computer Science / Computer
			Application / IT or NIELIT "B" Level with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Bachelor in Computer Science/Computer Application/IT OR PGDCA from UGC recognized University or from a deemed University or NIELIT "A" Level with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
			Three year's Diploma from recognized Board of Technical Education / Institute in Computer Science/IT with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Apprenticeship Certificate or National Trade Certificate in the Trade of Computer Operator and Programming Assistant from a recognized Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of at least one year duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions/Deemed University/University/Private Institution which are affiliated with NCVT/AICTE/PCI/Industries which are registered/established under factory/Company Act.
Ha	tructor (Computer rdware & Network nintenance).	06	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science & Mathematics:
IVIA	minumo).		1. Post Graduate in Computer Science / Computer Application/IT/Electronics from a recognized Engineering College/University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR

			Degree in Engineering / Technology in Computer Science / IT / Electronics & Communication from a recognized University or from a deemed University with one year' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Computer Science / IT / Electronics & Communication from an Institution affiliated to a recognized Board / Institution with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
			NTC/NAC passed in Computer Hardware & Network Maintenance Trade with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of at least one year' duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, at least four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
7.	Instructor [Desk Top Publishing Operator	02	Passed 10th class examination under 10+2 system of education.
	(Pervious Designation Printing & Book Binding)].	1. Degree in Printing Technology from recognized University or from a deemed University with one year experience in Computer Application and Desktop Publishing after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.	
			OR
			Diploma in Printing Technology from an Institution affiliated to a recognized Board of Education with two years experience in Computer Application and Desktop Publishing after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.

626	(10147, 10	יוו אלוויאַ	दश, 30 अप्रल, 2021 / 10 वशाख, 1943
			OR
			National Apprenticeship Certificate OR National Trade Certificate in the Trade of Desktop Publishing Operator with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of at least one year duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
8.	Instructor (Digital Photographer)	01	Passed 10th class examination under 10+2 System of education.
			Diploma in Photography/Cinematography/Videography from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
			National Apprenticeship Certificate/National Trade Certificate passed in the trade of Digital Photographer/Photographer from an Institution recognized by Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			Craft Instructor Training of at least one year' duration /Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions/Deemed University /University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/Industries which are registered/established under factory/Company Act.
9.	Instructor [Draughtsman (Civil)].	18	Passed 10th class under 10+2 system with Science and Mathematics.
			1. Degree in Civil Branch of Engineering from a recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year' experience after

	<u> </u>	10 11-101	,
			Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Civil Branch of Engineering from Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Apprenticeship Certificate / National Trade Certificate passed in the trade of Draughtsman (Civil) from an Institution affiliated to Board recognized with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of at least one year' duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, at least four years post qualification experience in the trade concerned in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
10.	Instructor (Draughtsman) Mechanical).	10	Passed 10th class under 10+2 system with Science and Mathematics:
	Mechanicar).		1. Degree in Mechanical Engineering from a recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Mechanical Engineering from Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Apprenticeship Certificate / National Trade Certificate passed in the trade of Draughtsman (Mechanical) from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.

028	(1917), 10	2119(1 7	५२१, ५० अत्रल, २०२१/ १० पराखि, १९४५
			2. Craft Instructor Training of at least one year duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions/ Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE/PCI/Industries which are registered/ established under factory / Company Act.
11.	Instructor (Dress Making)	10	1. National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in Dress Making from an Institution affiliated to recognized Institution with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Dress Making/Garment Fabricating Technology/ Costume Designing from AICTE with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
			Degree in Fashion & Apparel Technology from a recognized University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of at least one year duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions/Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/Industries which are registered/established under factory/ Company Act.
12.	Instructor [(Driver cum Mechanic (LMV)].	03	1. Diploma in Mechanical/Automobile Engineering from recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern with LMV Driving License.
			OR

	41,	गपत्र, हिनापरा	પ્રવેશ, 30 એપ્રેલ, 2021 / 10 વેશાએ, 1943 629
			NTC/NAC passed in the Trade of "Driver cum Mechanic (Light Motor Vehicle)" with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern with LMV Driving license.
			2. Craft Instructor Training of at least one year duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
13.	Instructor (Electrician)	104	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics.
			1. Degree in Electrical/Electrical and Electronics Engineering from recognized Engineering College/ University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Electrical/Electrical and Electronics Engineering from recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate in the Trade of "Electrician" with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of at least one year duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, at least four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.

1.4			Passed 10th along arraningtion and at 10±2 contains of
14.	Instructor (Electronics Mechanic)	43	Passed 10th class examination under 10+2 system of education:
			1. B.E/B. Tech. in Electronics/Electronics & Telecommunication/Electronics & Communication from Engineering College/University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Electronics/Electronics & Telecommunication / Electronics & Communication from recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
			National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the concerned trade from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
15.	Instructor (Employability Skills)	50	MBA from a recognized University / Institution.
	(Employuomity Skins)		OR
			BBA from a recognized University / Institution with two years experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Graduate in Sociology / Social Welfare / Economics from a recognized University / Institution with two years experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.

	XI -1 1-1,	10 11 141	741, 00 3171, 2021/ 10 4114, 1040 031
			OR
			Graduate / Diploma from a recognized University / Institution with two years experience and trained in Employability Skills from DGET Institutes.
			AND
			Must have studied English / Communication Skills and Basic Computer at 12th / Diploma level and above
			OR
			Existing Social Studies Instructor duly trained in Employability Skills from DGET Institutes.
16.	Instructor (Engineering Drawing).	58	Degree in Engineering from recognized University/ Institution with one year experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Engineering from a recognized University / Institution with two years experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			NTC / NAC in the Draughtsman (Mechanical / Civil) with three years experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			Desirable: Craft Instructor Certificate in RoD & "A" course under NCVT.
17.	Instructor (Engineering Drawing/ Mathematics)	42	Degree in Engineering from a recognized University / Institution with one year experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
	Wiathernatics)		OR
			Diploma in Engineering from a recognized University / Institution with two years experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			NTC/NAC in the Draughtsman (Mechanical / Civil) with three years experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			Desirable: Craft Instructor Certificate in RoD & "A" course under NCVT.

	,		41, 00 31/1, 2021/ 10 41114, 1040
18.	Instructor (Fashion Design Technology).	17	Passed 10th Class examination under 10+2 system of education.
			1. Degree (4 years duration) in Fashion Designing / Technology from recognized University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Degree (3 years' duration) in Fashion Designing / Technology from recognized University or from a deemed University with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Three years' Diploma in Fashion Designing / Technology / CDDM from (AICTE) with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in Fashion Design & Technology (earlier name of Trade as "Fashion Technology") with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
19.	Instructor (Fitter)	65	Passed 10th Class with Sc. & Mathematics under 10+2 system of Education.
			Degree in Mechanical Engineering from a recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial

			प्रदर्श, ५० अप्रल, २०२१ / १० पराखि, १९४५ ) १५५५
			Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Mechanical Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
			National Trade Certificate/ National Apprenticeship Certificate passed in the "Fitter" Trade from a recognized Institution with three years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI / Industries which are registered / established under factory / Company Act.
20.	Instructor (Fire Technology &	03	Passed class 12th examination under 10+2 system of education:
	Industrial Safety Management)		1. Degree in Fire & Safety Engineering / Degree in Fire Science with one year' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Post Graduate Diploma in Industrial Safety Engineering/Fire and Industrial Safety Engineering/Post Graduate Diploma in Health, Safety & Environment with two years experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Defence Officer JCOs/NCOs with 10 years of experience in the concerned field.
			OR

034	(191191, 10	: 11 101 21	स्रा, ५० अप्रल, २०२१/ १० परास्त्र, १९४५
			National Examination Board Occupational Safety and Health (NEBOSH) / Occupational Safety and Health Administrator (OSHA) Certification-1 Year Experience.  OR  National Trade Certificate/National Apprentice-ship Certificate in the Trade of Fire Technology and Industrial Safety Management with three years' post qualification experience in the concerned field.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions/Deemed University/University/Private Institution which are affiliated with NCVT/AICTE/PCI/Industries which are registered/established under factory / Company Act.
21.	Instructor (Food &	06	Passed 10th Class examination:
	Beverages Guest Services Assistant)		1. National Trade Certificate in Food Beverage Trade from an Institution affiliated to a recognized Board with three year' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Food Technology with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Degree in Food Technology with one year' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions/Deemed University/University / Private Institution which are affiliated with NCVT/

		10 11-101	
			AICTE/PCI/Industries which are registered/ established under factory / Company Act.
22.	Instructor (Food Production (General)	06	Passed 10th class examination under 10+2 System of education:
			1. Degree in Hotel Management/Catering Technology from recognized University or from a deemed University with one year' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Hotel Management / Catering Technology from an Institution affiliated to a recognized Board with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI / Industries which are registered / established under factory / Company Act.
23.	Instructor (Front	03	Passed 10th class examination.
	Office Assistant)		1. Degree in Commerce/Hotel Management / Catering Technology from recognized University or from a Deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Hotel Management / Catering Technology/ Commercial Practice from an Institution affiliated to a recognized Board with two years' post qualification

030	(1917), 10	7119(1 7)	५२१, ५० अत्रर्श, २०२१/ १० पराखि, १९४५
			experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate in the concerned Trade with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
24.	Instructor (Fruit and Vegetable Processor)	04	Passed 10th Class examination with Science and Mathematics:
			1. National Trade Certificate in Preservation of Fruits & Vegetables trade from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Food Technology or Post Harvest Management with two years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Degree in Food Technology of post Harvest Management with one year' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor

		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
25.	Instructor (House Keeper)	02	Passed 10th class examination:
	Кеерегу		1. National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Hotel Management / Catering Technology with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Degree in Hotel Management/Catering Technology from a recognized College/University or from a deemed University with one year' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI / Industries which are registered / established under factory / Company Act.
26.	Instructor (Information &	14	Passed 10th with Science and Mathematics as subjects:
	Communication Technology System Maintenance)		1. Graduate in Engineering / Technology in Computer Science / IT / Electronics & Communication from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.

038	ાત્ર, ારુમાં થલ પ્રવેશ, 30 એપ્રલ, 2021 / 10 વેશાએ, 1943
	OR
	Post Graduate in Computer Science/Computer Application/IT/ Electronics with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
	OR
	Bachelor in Computer Science/Computer Application/ IT OR NIELIT "A" Level with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
	Three years Diploma from an Institution affiliated to a recognized Board in Computer Science / IT/ Electronics & Communication with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
	National Apprenticeship Certificate or National Trade certificate in Information & Communication Technology System Maintenance Trade from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
	2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
27. Instructor	12 Passed 10th with Science and Mathematics as subjects:
(Information Technology).	1. Graduate in Engineering / Technology in Computer Science / IT / Electronics & Communication from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
	OR

	<u> </u>		74(1, 50 SIX(1, 2021) 10 4(114, 1545 ) 05)
			Post Graduate in Computer Science / Computer Application / IT / Electronics with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Bachelor in Computer Science / Computer Application / IT OR NIELIT "A" Level with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Three years Diploma from an Institution affiliated to a recognized Board / Institution in Computer Science/IT / Electronics & Communication with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Apprenticeship Certificate or National Trade certificate in Information Technology Trade from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
28.	Instructor (Instrument	03	Passed 10th class with Science and Mathematics under 10+2 system of education:
	Mechanic)		1. Degree in Instrumentation / Instrumentation and Control Engineering from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.

640	(131,731,710	11-1(1) /14	શ, 30 अप्रल, 2021 / 10 વશાહ્ય, 1943
			OR
			Diploma in Instrumentation/Instrumentation and Control Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			NTC / NAC in the Trade of "Instrument Mech." trade from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions/Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT/AICTE/PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
29.	Instructor (Machinist)		Passed 10th Class with Science & Mathematics under 10+2 system of Education:
			1. Degree in Mechanical Engineering from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Mechanical Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate passed in the "Machinist" Trade with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.

(15,17), 10		7441, 66 61741, 2621/ 16 441141, 1646
		2. Craft Instructor Training of at least one year' duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
30. Instructor (Mathematics).	52	Degree in Engineering from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
		OR
		Diploma in Engineering from recognized Engineering College / University or from a deemed University with two years' experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
		Desirable: Craft Instructor Certificate in RoD & A course under NCVT.
31. Instructor (Workshop Calculation & Science)	02	Degree in Engineering from recognized Engineering College / University or from a Deemed University with one year experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
		OR
		Diploma in Engineering from recognized Engineering College /University or from a Deemed University with two years' experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
		Desirable: Craft Instructor Certificate in RoD & A course under NCVT.
32. Instructor (Mechanic Auto Body Painting).	09	Passed 10th class examination under 10+2 System of education:
		1. Degree in Automobile / Mechanical Engineering (with specialization in Automobile) from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year' experience after Craft Instructor Training in the Automobile Industry and should possess valid LMV driving license.
		OR

042	(1-11-1, 10	11 101 21	२२।, ५० अत्रल, २०२। / १० पराखि, १९४५
			Diploma in Automobile / Mechanical (specialization in automobile) from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in the Automobile Industry and should possess valid LMV driving license.
			OR
			NTC/NAC in the Trade of Mechanic Auto Body Painting from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern and should possess valid LMV driving license.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
33.	Instructor (Mechanic Diesel Engine)	08	Passed 10th class examination under 10+2 System of education:
			1. Degree in Automobile / Mechanical Engineering (with specialization in Automobile) from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year' experience after Craft Instructor Training in the Automobile Industry and should possess valid LMV driving license.  OR
			Diploma in Automobile / Mechanical (specialization in automobile) from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in the Automobile Industry and should possess valid LMV driving license.  OR
			National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the Trade of Mechanic Diesel Engine from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after

	(10117),	10 11-101	प्रदर्श, ५० अप्रल, २०२१/ १० पराष्ट्र, १९४५ - ७५५
			Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern and should possess valid LMV driving license.  2. Craft Instructor Training of atleast one year'
			duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
34.	Instructor (Mechanic Auto Electrical and Electronics)	08	1. Degree in Automobile / Mechanical / Electrical / Electronics & Communication Engineering (with specialization in Automobile) from recognized Engineering College / University with one year experience in the Automobile or from a deemed University and should possess valid LMV driving license.
			OR
			Diploma in Automobile / Mechanical (specialization in automobile) / Electrical / Electronics & Communication Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience in the automobile industry and should possess valid LMV driving license  OR
			National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the Trade of Mechanic "Auto Electrical & Electronics" from a recognized Institution with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern and should possess valid LMV driving license.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI / Industries which are registered / established under factory / Company Act.

2.5	T	1.1	D 1: 10:1 1 : ::
35.	Instructor (Mechanic	11	Passed in 10th class examination:
	[Refrigeration and Air-Conditioner		1. Degree in Mechanical Engineering from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Mechanical Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			NTC/NAC in Mechanic Refrigeration & Air-Conditioner Trade from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
36.	Instructor (Mechanic	03	Passed 10th Class under 10+2 system:
	Central Air Condition Plant)		1. National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in Mechanic Air Conditioner Plant from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Mechanical / Electrical Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.

	XI =1 171,	16 11 101	प्रदर्श, ५० अप्रल, २०२१/ १० पराखि, १९४५
			OR
			Degree in Mechanical / Electrical Engineering from recognized Engineering College / University with one years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years' post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
37.	Instructor (Mechanic Communication	01	Passed 10th Class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics:
	Equipment Maintenance)		1. B.E. / B. Tech. in Electronics / Electronics & Telecommunication / Computer Science / Computer Engineering / Instrumentation from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
			Science Graduate with Physics, Mathematics OR Graduate in Electronics from recognized Engineering College / University or from a Deemed University with three years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Computer Science / Technology from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the trade from an Institution affiliated to a recognized Board / Institution with three years' post qualification experience after Craft Instructor

646	राजपत्र, हि	हेमाचल प्रदेश	श, 30 अप्रैल, 2021 / 10 वैशाख, 1943
			Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
38.	Instructor (Mechanic Consumer Electronics		Passed 10th class examination under 10+2 system of education:
	Appliances)		1. B.E. / B. Tech. in Electronics / Electronics & Telecommunication / Electronics & Communication from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Electronics/Electronics & Tele- communication/Electronics & Communication from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the Trade of Mechanic Consumer Electronics Appliances with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.

20	Instructor (Machania	71	1 Dagrag in Automobile/Machanical Engineering
39.	Instructor (Mechanic Motor Vehicle).	71	1. Degree in Automobile/Mechanical Engineering (with specialization in Automobile) from recognized Engineering College/University or from a Deemed University with one year' experience in the Automobile Industry and should possess valid LMV driving license.
			OR
			Diploma in Automobile / Mechanical (specialization in automobile) Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience in the automobile industry and should possess valid LMV driving license.  OR
			National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the Trade from a recognized Institution of Mechanic Motor Vehicle from a recognized Institution with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern and should possess valid LMV driving license.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year' duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
40.	Instructor (Mechanic Repair &	01	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics:
	Maintenance of Two Wheeler)	1. Degree in Mechanical / Automobile Engineering from recognized Engineering College / University or from a Deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.	
			OR
			Diploma in Mechanical / Automobile Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.

048			प्रत, 30 अप्रल, 2021/ 10 पराखि, 1943
			OR
			National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the Trade of "Mechanic Repair and Maintenance of two Wheeler" from recognized Institution with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of at least one year' duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
41.	Instructor [Mechanic Tractor].	01	1. Degree in Agriculture / Automobile / Mechanical Engineering (with specialization in Automobile) from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience in the Tractor Industry and should possess valid LMV driving license.
			OR
			Diploma in Agriculture / Automobile / Mechanical Engineering (specialization in automobile) from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience in the Tractor Industry and should possess valid LMV driving license.
			OR
			10th Passed plus National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the Trade of Mechanic Tractor / Mechanic Agriculture Machinery from an Institution affiliated to a recognized Board / Institution with three years' post qualification experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern and should possess valid LMV driving license.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility

		1	7441, 00 017(1, 2021) 10 44114, 1040
			is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
42.	Instructor (Motor Driving & Heavy Earth Moving Machinery Operator).	01	1. Degree in Automobile / Mechanical Engineering (with specialization in Automobile) from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year' experience in the Automobile Industry and should possess valid LMV / HMV driving license.
			OR
			Diploma in Automobile / Mechanical (specialization in automobile) from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience in automobile industry and should possess valid LMV / HMV driving license.
			OR
			10th Passed plus National Trade Certificate/ National Apprenticeship Certificate in the Trade of Mechanic Motor Vehicle from a recognized Institution with three years' post qualification experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern and should possess valid LMV / HMV driving license.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
43.	Instructor (Motor Driving- cum- Mechanic).	01	1. Degree in Automobile / Mechanical Engineering (with specialization in Automobile) from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience in the Automobile Industry and should possess valid LMV / HMV driving license.

650	(10117, 10	211901 30	६२।, ३० अप्रल, २०२१ / १० वशाख, १९४३
			OR
			Diploma in Automobile / Mechanical (specialization in automobile) from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience in automobile industry and should possess valid LMV / HMV driving license.
			OR
			10th Passed plus National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the Trade of Mechanic Motor Vehicle from a recognized Institution with three years' post qualification experience in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern and should possess valid LMV / HMV driving license.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
44.	Instructor (Motor Driving).	04	1. Degree in Automobile/Mechanical Engineering (with specialization in Automobile) from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience in the Automobile Industry and should possess valid LMV / HMV driving license.
			OR
			Diploma in Automobile / Mechanical (specialization in automobile) from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience in automobile industry and should possess valid LMV / HMV driving license.  OR
			10th Passed plus National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the Trade of Mechanic Motor Vehicle from a recognized Institution with three years' post qualification experience in an Industrial Training Institute or in a

			प्रदर्श, ५० अप्रल, २०२१/ १० पराखि, १९४५ । १८५५ । १८५१
			reputed Industrial concern and should possess valid LMV / HMV driving license.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
45.	Instructor (Multimedia Animation & Special	05	Passed 10th standard under 10+2 System
	Effect).		1. Degree in Multimedia and Animation from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Multimedia and Animation with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
			National Apprenticeship Certificate / National Trade Certificate in the trade Multimedia Animation & Special Effects trade with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
46.	Instructor (Office Assistant– <i>cum</i> -Computer Operator).	02	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science & Mathematics:  1. Post Graduate in Computer Science / Computer
			Application /IT / Electronics with 06 months'

032			२२।, ५० अत्ररा, २०२। / १० परास्त्र, १९४५
			experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Degree in Engineering / Technology in Computer Science / IT / Electronics & Communication from recognized University or from a deemed University with one year' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Computer Science / IT / Electronics & Communication Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board / Institution with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
			National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the trade Office Assistant-cum-Computer Operator Trade from recognized Institutions with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of at least one year duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions/Deemed University/ University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
47. Instructo	,	03	Passed 10th class examination under 10+2 System of education:
			1. Degree in Paint Technology / Bachelor of Fine Arts from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Paint Technology / Painting from an Institution affiliated to a recognized Board of

			Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR  National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the Trade of "Painter General" from a recognized Institution with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training
			in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  2. Craft Instructor Training of at least one year' duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
48.	Instructor (Plastic Processing Operator).	01	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics:
			1. Degree in Plastic Technology / Engineering from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Plastic Technology / Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Trade Certificate/National Apprentice- ship Certificate in the Trade Plastic Processing Operator with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade

		, 11-1(1 )/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
49.	Instructor (Plumber)	34	1. Degree in Civil / Mechanical Branch of Engineering from a recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Civil / Mechanical Branch of Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in Plumber Trade with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
50.	Instructor (Pump Operator- <i>cum</i> -Mechanic).	09	Degree in Automobile / Mechanical / Electrical Engineering from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
			Diploma in Automobile / Mechanical / Electrical
			Engineering from an Institution affiliated to a

	recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
	OR
	10th Passed plus National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the Trade of "Pump Operator-cum- Mechanic" in the recognized Institution with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
	2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI/ Industries which are registered / established under factory / Company Act.
51. Instructor (Sewing Technology)	51 1. Degree in Fashion & Apparel Technology from recognized College /University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
	OR
	Diploma in Garment fabrication Technology/ Costume Design & Dress Making from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
	National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the Trade of Sewing Technology (earlier Trade name as 'cutting & sewing') with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
	2. Craft Instructor Training of at least one year' duration/ Modular Pattern (all the four Modules) in the trade

	,		4(1, 00 01)(1, 2021) 10 1(11)(1, 10+0
			concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI / Industries which are registered / established under factory / Company Act.
52.	Instructor (Sheet Metal Worker)	03	1. Degree in Mechanical / Metallurgy / Production Engineering / Mechatronics from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Mechanical and Allied from recognized Engineering College / University or from a deemed University with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.  OR
			National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the Trade of "Sheet Metal Worker" Trade with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions/Deemed University/University/Private Institution which are affiliated with NCVT/AICTE/ PCI/Industries which are registered/established under factory/Company Act.
53.	Instructor [Solar Technician	03	Passed 10th class examination under 10+2 System of education with Science and Mathematics.
	(Electrical)].		1. Degree in Electrical/Electrical and Electronics Engineering from recognized Engineering College/ University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.

	X1 -1 1-1/	10 11-101	પ્રવેશ, 30 એપ્રેલ, 2021 / 10 વેશાર્સ, 1943 65 /	
			OR	
			Diploma in Electrical/Electrical and Electronics Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.	
			OR	
			National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate in the Trade of "Solar Technician (Electrical)" with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.	
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions/Deemed University/University/Private Institution which are affiliated with NCVT/AICTE/ PCI/Industries which are registered/established under factory / Company Act.	
54.	Instructor (Stenography & Secretarial Assistant [English] [Pervious Designation Stenography English])	06	Passed 10th class examination under 10+2 system of education:	
			1. National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the trade with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.	
				OR
			Diploma (AICTE Approved) in relevant field with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.	
			OR	
			Degree from a recognized University or from a deemed University in the relevant field with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.	

038	(1011A, 10	: 11 101 71	ररा, ५० अन्नल, २०२१/ १० पराखि, १९४५
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions/Deemed University/University/Private Institution which are affiliated with NCVT/AICTE PCI/Industries which are registered/established under factory/ Company Act.
55.	Instructor (Stenography & Secretarial Assistant	09	Passed 10th class examination under 10+2 system o education.
	(Hindi) (old name Stenography Hindi)].		1. National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate in the trade with three years' post qualification experience after Craft Instructo Training in an Industrial Training Institute or in reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma (AICTE Approved) in relevant field with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Degree from a recognized University or from a deemed University in the relevant field with one year experience after Craft Instructor Training in a Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions/Deemed University/University/Private Institution which are affiliated with NCVT/AICTE PCI/Industries which are registered/established under factory/Company Act.
56.	Instructor [Surface Ornamentation Techniques (Embroidery) (Pervious Designation	32	1. National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate in Surface Ornamentation Technique (Pervious Designation Embroidery and Needle Work) Trade with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an

	Embroidery & Needle Work)].		Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Fashion Technology/Costume Design and Dress Making with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Degree in Fashion Technology/Costume Design and Dress Making with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions/Deemed University/University/Private Institution which are affiliated with NCVT/AICTE/PCI/Industries which are registered/established under factory/Company Act.
57.	Instructor (Surveyor)	10	1. Degree in Survey Engineering/Civil Engineering from recognized Engineering College/University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Survey Engineering/Civil Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board of Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate in the Trade of "Surveyor" with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of at least one year duration/Modular Pattern (all the four Modules) in

			41, 00 3171, 2021 / 10 41114, 1040
			the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions/Deemed University/University/Private Institution which are affiliated with NCVT/AICTE/PCI/Industries which are registered/established under factory/Company Act.
58.	Instructor (Technician Power Electronics System).	05	Passed 10th class examinations under 10+2 system of education:
	By stemy.		1. Degree in Electronics/Electronics & Telecommunication/Electronics & Communication Engineering from recognized Engineering College/ University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Electronics/Electronics and Tele- communication/Electronics and Communication Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate in the Trade of Technician Power Electronics System with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions/Deemed University/University/Private Institution which are affiliated with NCVT/AICTE/PCI/ Industries which are registered/established under factory/ Company Act.
59.	Instructor (Textile Wet Processing Technician).	01	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics:

		1. Degree in Engineering in Textile Technology from
		recognized Engineering College/University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
		OR
		Diploma in Textile Technology from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
		OR
		National Apprenticeship Certificate/National Trade Certificate in the trade of Textile Technology with three years' post qualification experience after craft instructor training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
		2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government/Semi Government Institutions/Deemed University/University/Private Institution which are affiliated with NCVT/AICTE/PCI/Industries which are registered/established under factory/Company Act.
60. Instructor [Tool & Die Maker (Dies &	09	Passed 10th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education.
Moulds)].		1. Degree in Mechanical Engineering from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
		OR
		Diploma in Mechanical Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
		OR
		National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate in the Trade of "Tool & Die Maker" (Dies

662		राजपत्र, हि	भाचल प्र	शि, 30	) अप्रल, 2021 / 10 वंशाख, 1943
				re q T	nd Moulds) from an Institution affiliated to a ecognized Board/Institution with three years' post qualification experience after Craft Instructor raining in an Industrial Training Institute or in a eputed Industrial concern.
				M c n e C I w	Craft Instructor Training of at least one year duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI / Industries which are registered / established under factory / Company Act.
61.	Instructor	(Tourist	01	Passe	ed 10th Class examination:
	Guide).			a tl I	National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in the concerned Trade from an Institution affiliated to a recognized Board / Institution with three years' post qualification experience after Craft anstructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
					OR
				In In In	Diploma in Tour and Travel Management from an institution affiliated to a recognized Board / institution with two years' experience after Craft instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
					OR
				v T	Degree in Tourism from a recognized University with one year experience after Craft Instructor Craining in an Industrial Training Institute or in a eputed Industrial concern.
					OR
				r U	Graduate with due subject of Indian History from a ecognized College / University or from a deemed University with two year experience in the concerned iled.
				/	Craft Instructor Training of atleast one year' duration Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is

			not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI / Industries which are registered / established under factory / Company Act.
62.	Instructor (Travel &	02	Passed 10th Class examination:
	Tour Assistant).		1. National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate in the concerned Trade from an Institution affiliated to a recognized Board / Institution with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Tour and Travel Management from an Institution affiliated to a recognized Board / Institution with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Degree in Tourism from a recognized University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Graduate with due subject of Indian History from a recognized College / University or from a deemed University with two year experience in the concerned filed.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions / Deemed University / University / Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI / Industries which are registered / established under factory / Company Act.
63.	Instructor (Turner)	25	Passed 10th Class with Science & Mathematics under 10+2 System of Education.

004	(1-1-1-1)	, 11-101 /1-	२२१, ५० अत्रल, २०२१ / १० पराखि, १९४५
			1. Degree in Mechanical / Production Engineering from recognized Engineering College / University or from a deemed University with one year experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Mechanical/Production Engineering from an Institution affiliated to a recognized Board of Technical Education with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			NTC / NAC passed in the Trade of "Turner" from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			2. Craft Instructor Training of atleast one year duration / Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is required from Government / Semi Government Institutions/Deemed University/University/ Private Institution which are affiliated with NCVT / AICTE / PCI / Industries which are registered / established under factory / Company Act.
64.	Instructor [Welder (Gas & Electrical) (Pervious Designation Welder)].	36	1. National Trade Certificate / National Apprenticeship Certificate in Welder Trade from an Institution affiliated to a recognized Board with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Diploma in Mechanical and Allied Engineering with two years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern.
			OR
			Degree in Mechanical Engineering with one year' experience after Craft Instructor Training in an

				·
			Indus	strial Training Institute or in a reputed Industrial ern.
			Mod- concernot a exper	t Instructor Training of atleast one year duration/ ular Pattern (all the four Modules) in the trade erned. Where Craft Instructor Training facility is available, atleast four years post qualification rience in the trade concerned in an Industrial ning Institute or in a reputed.
65.	Instructor [Welder (GMAW & GTAW)].	01	Engi after	ree in Mechanical / Metallurgy / Production neering/ Mechatronics with one year' experience Craft Instructor Training in an Industrial ning Institute or in a reputed Industrial concern.
				OR
			two y	oma in Mechanical and Allied Engineering with years' experience after Craft Instructor Training in Industrial Training Institute or in a reputed strial concern.
				OR
			Certi with Craft	onal Trade Certificate / National Apprenticeship ficate in the trade from recognized Institution three years' post qualification experience after a Instructor Training in an Industrial Training tute or in a reputed Industrial concern.
			durat the tr facili quali requi Instit Priva	Instructor Training of atleast one year from /Modular Pattern (all the four Modules) in rade concerned. Where Craft Instructor Training ity is not available, atleast four years post fication experience in the trade concerned is fred from Government / Semi Government / Semi Government / Semi Government / University / University / Ite Institution which are affiliated with NCVT / ITE / PCI / Industries which are registered / Industries which are r
66.	Instructor (Wireman)	09	Univ year	neering from recognized Engineering College / ersity or from a deemed University with one experience after Craft Instructor Training in an strial Training Institute or in a reputed Industrial ern.
				OR
			Engi	oma in Electrical / Electrical and Electronics neering from an Institution affiliated to a gnized Board of Technical Education with two

years' experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern. OR National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate in the "Wireman / Electrician" Trade with three years' post qualification experience after Craft Instructor Training in an Industrial Training Institute or in a reputed Industrial concern. 2. Craft Instructor Training of atleast one year duration/Modular Pattern (all the four Modules) in the trade concerned. Where Craft Instructor Training facility is not available, atleast four years post qualification experience in the trade concerned is from Government/Semi Government Institutions/Deemed University/University/Private Institution which are affiliated with NCVT/AICTE / PCI/Industries which are registered/established under

#### DHARAMSHALA MUNICIPAL CORPORATION

factory/Company Act.

#### **NOTIFICATION**

Dated, the 27th April, 2021

**No. DMC-Estt.(A)7-1/2020-411.**—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014), subject to the provisions of this Act or any rule or scheme made thereunder, the Dharamshala Municipal Corporation, hereby makes the following bye-laws for street vending, namely:—

## CHAPTER - I

#### **PRELIMINARY**

- 1. Short title and commencement.—(a) This Bye-laws may be called The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bye-laws—2021 for Dharamshala Municipal Corporation.
- (b) It shall come into force on such date, as notified in the Official Gazette, by the appropriate Government.
  - 2. **Definitions.**—In these bye-laws, unless the context otherwise requires:—
  - (a) "Act" means the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014);
  - (b) "Appropriate Government" means the Government of Himachal Pradesh;

- (c) "Bye-laws" means the bye-laws made under section 37 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014;
- (d) "Festive market" means a market where sellers and buyers have traditionally Congregated for the sale and purchase of products or services during festival season of the city or town and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (e) "Grievance Redressal Committee" means a committee constituted by the Government of Himachal Pradesh under sub-section (1) of section 20 of the Act;
- (f) "Heritage Market" means a market which has completed more than fifty years in one place where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (g) "Holding capacity" means the maximum number of street vendors who can be accommodated in any vending zone and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (h) "Local authority" means Dharamshala Municipal Corporation.
- (i) "License" means certificate of vending.
- (j) "Mobile vendors" means street vendors who carry out vending Activities in designated area by moving from one place to another place vending their goods and services;
- (k) "Municipal Commissioner" means the commissioner of the Dharamshala Municipal Corporation, Himachal Pradesh;
- (1) "Natural market" means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (m) "Niche market" means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of niche products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (n) "Night bazaar" means a bazaar where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services after evening *i.e.* during night and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (o) "Notification" means a notification published in the Official Gazette and the term "notify" shall be construed accordingly;
- (p) "Plan" means plan prepared under section 21 of the Act;
- (q) "Planning authority" means an Urban Development Authority or any other authority in any city or town designated by the appropriate Government as responsible for

regulating the land use by defining the precise extent of areas for any particular activity in the master plan or development plan or zonal plan or layout plan or any other spatial plan which is legally enforceable under the applicable Improvement trust Act or the Municipal Act, as the case may be in Act;

- (r) "Public purpose" includes in the context of the Act,
  - (i) widening of roads, streets, lanes;
  - (ii) shifting the alignment of roads, streets, lanes;
  - (iii) erecting flyovers with or without clover leaves and slip down roads;
  - (iv) erecting of underpasses;
  - (v) development of land owned by public authorities for some public projects;
  - (vi) laying of water, storm water or sewer lines;
  - (vii) erecting intermediate pumping stations for the services;
  - (viii) any project related with public transport like BRTS, Metro, etc.;
  - (ix) erection of Economically Weaker Section (EWS) Housing;
  - (x) Creation of Parks, Gardens and Recreational Area;
  - (xi) Conservation of any eco system resource in that area; and
  - (xii) Any other developmental work taken by the local authority, the beneficiary of which will be the community at large.
- (s) "Scheme" means Himachal Pradesh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme, 2017.
- (t) "Seasonal market" means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services during specific seasons and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (u) "Section" means section of the Act;
- (v) "Stationery vendors" means street vendors who carry out vending Activities on regular basis at a specific location;
- (w) "Street vendor" means a person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, in a street, lane, side walk, footpath, pavement, public park or any other public place or private area, from a temporary built up structure or by moving from place to place and includes hawker, peddler, squatter and all other synonymous terms which may be local or region specific; and the words "street vending" with their grammatical variations and cognate expressions, shall be construed accordingly;

- (x) "Registered Street vendor" means a person engaged in street vending as per the Act and is registered with Dharamshala Municipal Corporation under Street Vendor Act 2014.
- (y) "Town vending committee" means the body constituted by the appropriate Government under section 22 of the Act.
- (z) "Vending zone" means an area or a place or a location designated as such by the local authority, on the recommendations of the Town Vending Committee, for the specific use by street vendors for street vending and includes footpath, side walk, pavement, embankment, portions of a street, waiting area for public or any such place considered suitable for vending Activities and providing services to the general public.
- (aa) "Violation" means an Act committed by vendor which contradicts the conditions given in the License/Certificate of Vending.
- (bb) "Weekly market" means a market where sellers and buyers have weekly congregated for the sale and purchase of products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (cc) Words and expressions defined in the Act and used in these Bye-laws shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

## CHAPTER-II

## MANNER OF VENDING IN DIFFERENT VENDING ZONES

# 3. REGULATION AND MANNER OF VENDING IN DIFFERENT VENDING ZONES:—

- (a) Vending Zone.—TVC shall have to decide about vending zones considering an intensity of foot falls, nature of road, Road width and vehicular & pedestrian movement in the city.
- I. There shall not be any restriction-free-vending zones in the city. Carrying capacity of an area would put the ultimate limit on the number of street vendors which can he positioned in any area. However, there shall not be any restriction on mobile vending in these areas if venders continuously move, without affecting traffic and commuter movement. In such cases TVC has to decide the total number of such mobile vendors who can be accommodated after taking into account the area of significant footfall and 1/3 of the holding capacity of the area; otherwise there is a chance of creating problem for traffic movement, as the mobile vending invariably takes place from the carriage way.
  - II. Mobile vending is only allowed on vending streets as specified by TVC Dharamshala.
- III. In no circumstances street venders number will increase above 2.5% population of particular ward of DMC.
- IV. Minimum 1 meter space for pedestrian movement need to be ensure in front of vending area and road. This area need to be kept free from any kind of obstructions.

- V. It shall be the duty of the designated official of the local authority to keep a check that number of mobile vendors shall not cross the limit at a specific place as decided by the town vending committee.
- **(b)** The restricted vending zones are mainly linked up with the road width, and the roads of the following description have been put in this category in the plan;
  - (i) There shall not be any stationary street vending on a road having width equal to 3 meter. However, after due approval from the Town Vending Committee, one side street vending shall be allowed if such road is declared as no vehicular road.
  - (ii) There shall not be any stationary street vending on a road having width between 5 meters to 8 meters. However, after due approval from the Town Vending Committee one side street vending shall be allowed if such road is declared as one way vehicular road.
  - (iii) Number of street vendors shall be decided by considering holding capacity of each designated vending area on such a road.
  - (iv) Such stationary vending shall be allowed after taking the clearance from traffic police regarding the smooth vehicular and pedestrian movement. If required, road side parking shall be banned in such area where street vending is allowed.
  - (v) Mobile vending shall be allowed on such road after consideration to the traffic and pedestrian movement.
  - (vi) Suggestive road designing is attached as Annexure.

# (c) No vending zone:

- (i) No vending shall be allowed around **100 meters** of the Secretariat, District Courts, District Secretariat, Municipal Corporation, Military Cant. Est. and state archeological monuments.
- (ii) No vending within **25 meters** from any crossing of two or more roads on all side and any declared heritage structures by the local authority. No vending with 50 meters from Mcleodganj, Dalai Lama Temple, Kachehri chowk, Fawahra chowk and Dolma chowk.
- (iii) No vending shall be allowed around **50 meters** on both the sides from the entry and exit of any educational institutions and hospitals.
- (iv) There shall not be any vending on State Highways and National Highways.

# 4. Restrictions on street vendors.

- (a) A street vender, who got street vending certificate for any of these vending zones, shall not—Obstruct or interfere with vehicle, bicycle or pedestrian traffic or their safety;
- (b) Obstruct or interfere with doorways, entrances, fire doors or emergency exits adjacent to the street;

- (c) Obstruct or interfere with any utilities like water supply, sewerage, telephone, electricity etc. or similar installations;
- (d) Obstruct or interfere with any other structures, sign boards, display units, city works or operations, on or adjacent to the street;
- (e) Sell any prohibited, objectionable / pirated goods or services or merchandise etc; as per rules, regulations and notifications issued by any statutory authority from time to time;
- (f) Occupy more space than allotted space by the TVC/ DMC;
- (g) Sell goods or services or merchandises after fixed hours as specified by the TVC;
- (h) Dispose garbage in an un-segregated manner and in any place other than specific place which is identified by the local authority.
- (i) Sell the goods or services or merchandises after expiry of the vending certificate;
- (j) Use of loudspeakers, megaphones, sound systems or other amplification equipment;
- (k) Allow any person other than family member to vend from his vending place or sublet the place, allotted by local authority;
- (1) Use any unauthorized and prohibited mechanism for energy requirement in public place, crowded area for cooking and heating purpose example open tandoor and domestic LPG;
- (m) Construct any permanent or temporary structures on allotted space;
- (n) Use banned polythene bags of any kind; and
- (o) Transfer the certificate to any other vendors without approval.
- **5. Responsibility of Street Vendors**.—It shall be the duty of the street vendors or his family members or employee to:
  - (a) Comply with all the conditions specified in the certificated of vending;
  - (b) Comply with all the conditions specified in The street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014, HP SV Rules-2016 & HP SV Scheme, 2016 those are left out from these Bye laws.
  - (c) Do vending on the place as specified in the vending certificate;
  - (d) Comply with all conditions specified in the certificates;
  - (e) Prominently display ID card & Certificate of vending at vending place all times;
  - (f) Ensure that either the street vendor or such family member whose name has been mentioned in the vending certificate or employee remains present at vending place during vending hours;
  - (g) Keep the vending place safe and in good conditions all times;

- (h) Comply with any safety and or sanitary requirements of local authority *i.e* DMC and any other line department of HP;
- (i) Produce the certificate of vending when demanded by any of the Government authority;
- (j) Comply all the requirements of the Food Adulteration Act or any other act if applicable;
- (k) Clear and remove, wares and articles everyday at the end of vending hours from the site, no storage at vending site is permitted in any manner other than the facility developed by the local authority.
- (1) Use recommended fire safety devices/equipments in case of registered food street vendors for heating purposes by using commercial LPG connection and also in case of other vendors selling combustible products.
- (*m*) Comply to bye laws framed by Dharamshala Municipal Corporation for Door-to-Door Garbage Collection and Disposal ,2018.
- (n) Follow all the requirements of this bye-laws and conditions mentioned in the vending certificate.

# CHAPTER-III

# FEES, TAXES AND PENALTIES AND TERMS & CONDITIONS

- **6. Vending Fees**.—Every registered street vendor shall be liable to pay vending fees as prescribed by TVC from time to time as per Himachal Pradesh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme-2016.
- 7. Fee for amenities and facilities.—Every registered street vendor shall be liable to pay fee for amenities, facilities and maintenance charges *e.g* drinking water, public convenience, storage/refrigeration store etc. as prescribed and provided by the local authority time to time and as applicable.
- **8.** User Fee/charges.—Every registered street vendor shall be liable to pay fee/charges as per Door-to-Door Garbage Collection and Disposal Bye laws, 2018 of Dharamshala Municipal Corporation.

#### 9. Penalty to be levied—

(a) Every registered street vendor who commits violation of the provisions of the Street Vending Act/ Rules or Bye laws, shall be liable for penalty as per the following table:

Sl. No	Penalty Type/Nature	Penalty Amount (INR)
1.	1st time violation	1000/-
2.	2nd time violation	2000/-
3.	3rd time violation	5000/-
4.	1	
		of vending for 3 months. License

		will be kept at DMC office till suspension period.
5.	5th time violation	License will cancelled as per the act and conditions in the certificate.
6.	Penalty for carrying out unauthorized street vending (without certificate of vending).  Note: if any shop owner/ property owner is found vending goods or services by himself or through someone else in front of his premises or corridor, he/she shall also be liable for penalty under this provision as unauthorized vendor.	2nd time – 5000/- 3rd time 10000/- along with seizure of goods without return

- (b) If registered street vendors violates any provision of the act / bye laws five times, then the vending certificate will be cancelled and the vendor has to apply for the license afresh (re-registration) with the approval of TVC.
- **10. Other Fees.**—The fee to be charged from registered street vendors other than vending fee, amenities, facilities and maintenance fee and penalties are as under:

Sl. No.	Services	Service Fee ( INR)
1.	ID Card (Validity 5 years from date of issue)	200/-
2.	Duplicate ID card in case of lost/damage	300/-
3.	Renewal of ID card ( 5 Years Validity)	100/-
4.	License/ certificate of vending	100/-
5.	Duplicate License/ Certificate of Vending in case of lost/damage	200/-
6.	Renew of License/ Certificate of Vending after 5 years (apply 2 months prior to expiry).	100/-
7.	Penalty fee for delay in monthly vending fee after 10th of every month @ Rs 10/- per day up to maximum 90 days. License will be cancelled after expiry of 90 Days.	10/- per day
8.	Penalty for delay in renewal of License/certificate of vending by the street vendor	20/- day
	(a) 0-30 days	20/- day
	(b) 30-60 days	500/- + 20/-day
	(c) Above 60 days and maximum upto 90 days.	1500/- + 20/-day
9.	Re-registration of certificate of vending certificate after cancellation due to five repetitive violation and cancellation due to non submission of vending fee for more than 90 days.	3000/-

# 11. Vending space limits for street vendors:

S	Sl. No.	Category of Street Vending	Max. Vending space		
	1.	Fruits & Vegetable Seller	5 Feet* 7 Feet	Remark:	Vending
	2.	Fast Food & Food Items	5 Feet* 6 Feet	Kemark:	venuing

3.	Cloth & Handloom Items	5 Feet* 5 Feet	Space for registered
4.	Home Décor & Handicraft	5 Feet* 5 Feet	SV may be vary as
5.	Others	4 Feet* 5 Feet	per the actual space availability in vending zone.

# 12. Terms and Conditions:

- (a) Venders having daily receipts of tehbazari will not be considered as registered street venders until and unless Venders are eligible as per vending rules/ scheme of H.P. and are registered with DMC.
- (b) Every registered street vendor shall be liable to pay monthly vending fee by 10th of every month in D004D office. Submission of fees is the responsibility and duty of street vendor and DMC is not going to collect it on daily bases.
- (c) Vendors shall have options for payment at DMC office through digital mode of transaction *i.e.* debit/credit card or can directly transfer through net banking or cheque, in DMC/TVC account.
- (d) The perishable items seized from un-registered street vendors will be donated to Societies/charitable trusts/ashrams/hospitals/shelter for urban homeless, old age home etc. and non-perishable items will be disposed of by way of open auction by DMC on monthly/quarterly/ annual basis. No claim can be entertained by office as unauthorized vending is strictly prohibited.
- (e) The registration will be valid for five years from date of registration of vendor.
- (f) There will be 5% annual compounded increase in the monthly street vending fees with effect from beginning of every financial year *i.e.* from 1st April.
- (g) There will be discount in monthly vending fees of 25% to disabled, single women and senior citizen vendors.
- (h) The monthly vending fee will be deposited on monthly basis, if one would like to deposit on quarterly/ half yearly/yearly basis then discount will be offered to the tune of 5%, 7.5% and 10% respectively.
- (i) Exemptions (maximum 50%) in the form of relief to registered street vendors in case penalties imposed will be given only when, the street vendor or his/her next kin shows valid documents of urgency *i.e.* hospitalization, pregnancy, death episode, accident or any extreme emergency due to natural or manmade disaster or riots etc. Such cases will be examined by nodal officer and will be decided at the level of Additional Commissioner on recommendation of TVC. The maximum period for submitting claim for exemption/relief will be within six months from the date of last fee paid.

#### CHAPTER-IV

#### PROCEDURE FOR ALLOTMENT OF VENDING SITE

13. The local authority through TVC shall adopt draw of lots procedure for allotment of vending sites in the designated vending zones. The determining terms and conditions for allotment of vending sites in the vending zone on first priority, will be for following registered street vendors:

- (a) Who had been surveyed and registered (provided with ID cards/COV) by the local authority in past will be considered.
- (b) Who possess Himachal Pradesh based Aadhar Cards.
- (c) Who submit undertaking to TVC that:
  - I. He/she carry on business of street vending himself or through any of his family members whose names are entered during the survey.
  - II. He/she has no other means of Livelihood.
  - III. He/she shall not transfer in any manner whatsoever, including rent, the certificate of vending or the place specified therein to any other person.
- **14.** TVC will give preference to reserved category (Max 24%) as per HP SV (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme-2016.
- **15.** All the surveyed street vendors who had been registered in the areas, which are declared as No Vending Zones will be relocated by the local authority for allotment of sites.
- 16. If the number of registered street vendors, identified in the survey are more than the holding capacity of the vending zone and exceeds the number of persons which can be accommodated in that vending zone, the TVC shall carry out a draw of lots for issuing certificate of vending for the vending zone and the remaining persons shall be accommodated in any adjoining areas will be considered.
- 17. If number of registered street **vendors is** less than the number of vending sites then the left over registered street vendors of adjoining sectors/areas will be considered.
- 18. If it is not possible to accommodate the registered street vendors as per the street vending zoning plan and the holding capacity of that zone, then local authority will issue a computer generated acknowledgement of application specifying waiting list number.
- 19. If the street vendors who have been surveyed and wishes to do street vending, can get registered as a new registered street vendor based on the waiting list number to such persons whose applications is accepted by TVC.
- 20. The Mobile. vendors will vend from their allocated areas or where they have been surveyed until and unless they are not violating any norms of the act. If they do so, then they will be shifted to nearby space as per vending zone norms. Such vendors can stay upto 30 minutes maximum at one place.
- 21. The Essential Service Providers (ESP) street vendors will vend from their allocated areas or where they have been surveyed until and unless they are not violating any norms of the act. If they do so, then they will be shifted to nearby space as per vending zone.

# CHAPTER-V

#### **MISCELLAENEOUS**

22. The regulation of traffic in the vending zone.—Wherever a vending zone is declared by the TVC, the traffic police shall decide about one way traffic, vending timings, speed limit, parking, movement of heavy vehicles etc. If traffic division doesn't agree with the vending zone, in that case it shall have to be shifted or cancelled in consultation with the TVC and urban development department.

Local Authority shall clearly earmark the vending area, a footpath and cartage way with in the vending zone *i.e.* the circulation area.

- 23. The Regulation of the quality of the products and services provided to the public in vending zone and maintenance of the public health, hygiene and safety standards.—
  - (a) Any vendor who sell food articles, readymade or processed on the street shall have to follow all the provisions of the Food Adulteration Act, 1954. In case of failure, penal measures shall be initiated by the concern department, as prescribed in the Food Adulteration Act. If there is any conviction order from the concerned department, vending certificate of such street vendor shall be cancelled by the local authority with immediate effect.
  - (b) Quality of articles vended from the street can only be taken care of in case, there is a prescribed standard under a relevant statue. Otherwise it will be only a qualitative assessment. In the absence of such standard it will be necessary to collect sample of such items against which some complaints are received by the vendors. Such cases can be discussed in the joint meeting of whole sellers, manufactures and vendors under the chairmanship of commissioner to arrive at amicable solutions

(Explanation for example, presence of toxic paint and sharp edges of the different part of the toy. There is a need to develop systematic samples taking an analysis of the same in an accredited laboratory. In case of proved presence of toxic element in the toys. The wholesaler should be compelled to take it back end payback the vendor price they pay if it not supplied on credit. In case of imported items found to be suffering from similar defects, wide publicity should be given drawing attention to the authorities empowered to take suitable items.)

# 24. The regulations of the civic services in the vending zone.—

- (a) The public toilet and drinking water facilities shall be provided at appropriate place by the local authority if there is unavailability;
- (b) Proper collection of segregated solid waste management system have to be provided by the local authority on user charge basis but cleanliness of the allotted site is to be managed by the registered street vendors, no littering will be allowed;
- (c) Lighting/power energy requirement to operate electric gadgets to the vendors shall be allowed by the solar or battery operated lamp mechanism;
- (d) No individual electricity and water connection shall be permitted in vending space;

#### 25. Miscellaneous:

- (a) The Commissioner/Chairman or the Licensing Officers may limit the time during which street vender may be permitted to operate either generally or specially in respect of any class of articles or in any particulars public street within the city.
- (b) The license granted under these bye-laws shall expire on completion of 5 years from the date of issue
- (c) The registered street vendors shall not do or permit to do negligent act, likely to cause fire or otherwise endanger to the public safety.
- (d) If the registered street vendor fails to comply with any terms and conditions of this license, the commissioner or the authorized officer can revoke or suspend the license.
- (e) If in case of registered street vendors reports of reduction in customer base due to relocation/displacement resulting into livelihood at stake, may inform the local authority for change in the location of vending. In such cases, the local authority may discuss in the TVC for the potential relief (subject to maximum 1 relocation only).
- (f) If the registered street vendors want to withdraw his/her license at any point of time, then he/she may submit an application in writing for discontinuation.
- (g) Notwithstanding anything contained in these bye-laws, the TVC may on compassionate ground in case of extreme hardship grant a certificate of vending to any person who is having severe disability of any type, HIV positive, senior citizen, orphans, poor/EWS widow and divorced women etc.
- (h) In case the registered street vendor dies or become incapable of running his/her business on account of old age, infirmity, or any physical or intellectual disability as per requisite valid certificate from appropriate authority, the commissioner/licensing officer may, for reasons to be recorded in writing, grant a license out of turn to his lineal descendant as per the act or the spouse. The lineal descendant or the spouse of the registered street vendor shall intimate the local authority about such death, disability, infirmity or illness with valid document e.g. death, disability etc. in writing.
- (i) The license/Street Vender shall always keep the license issued to him and shall on demand procedure it to the Commissioner/Chairman or the authorized officer.
- (j) The license/street vender shall not transfer the license issued to any other person, without the prior written permission of the Commissioner/Chairman or the authorized officer.
- (k) Every License issued to the street vender under these bye-laws may be renewed within 30 days from its date of expiry.
- (*l*) If the license/street vender fails to comply with any terms and condition of the license, the Commissioner/Chairman or the authorized officer can revoke or suspend the license.
- (m) In event of any future planning development of site/court order/directions, the allotted size is prohibited meant for vending; the registered street vendor shall not sell the articles in such prohibited site.

(n) In case of any change in future scenario, the byelaws may be amended with the recommendation of TVC and to be further notified.

*Note.*— *The* commissioner may recommend to amend the bye-laws at any time as and when required in public interest.

Sc	1/-
Commissione	er,
Dharamshala Municipal Corporatio	n.

# In the Court of Shri Manoj Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H. P.)

Smt. Rubi Devi w/o Late Sh. Kamlesh Sah c/o Ghanshyam Building at Jhanjhiri, Lower Khalini, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public ... Respondent.

Whereas Smt. Rubi Devi w/o Late Sh. Kamlesh Sah c/o Ghanshyam Building at Jhanjhiri, Lower Khalini, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of her son named Sh. Abhishek Kumar s/o Late Sh. Kamlesh Sah c/o Ghanshyam Building at Jhanjhiri, Lower Khalini, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation. District Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Sh. Abhishek Kumar	Son	20-03-2016

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Municipal Corporation. Shimla, District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 22-04-2021 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).